इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 29] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 16 जुलाई 2021—आषाढ़ 25, शक 1943

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख)(1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 जून 2021

क्र. ई-5-774-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अजीत कुमार, आयएएस., आयुक्त, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल को दिनांक 24 अप्रैल से 16 मई 2021 तक, तेईस दिन का कार्योत्तर लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री अजीत कुमार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजीत कुमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 28 जून 2021

क्र. ई-1-116-2021-5-एक.—श्री आई. सी. पी. केशरी, भाप्रसे (1988), उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण एवं अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग एवं प्रबंध संचालक, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड एवं वि.क.अ.-सह-सदस्य (पुनर्वास), नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संसदीय कार्य विभाग (अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, विशेष आयुक्त (समन्वय) मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(2) उपरोक्तानुसार श्री आई. सी. पी. केशरी द्वारा विशेष आयुक्त (समन्वय) मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली का कार्यभार ग्रहण करने पर

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2021.

श्री पंकज राग, भाप्रसे (1990), वि.क.अ.-सह-आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली तथा विशेष आयुक्त (समन्वय), मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली केवल विशेष आयुक्त (समन्वय), मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली के प्रभार से मुक्त होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इकबाल सिंह बैंस, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 25 जून 2021

क्र. 807-एफ 5-12-2021-एक (1).—मान. न्यायाधिपति महोदया स्व. सुश्री वंदना कसरेकर, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ, इन्दौर के दिनांक 13 दिसम्बर 2020 की स्थिति में महालेखाकार, ग्वालियर द्वारा प्रदान जानकारी के अनुसार उनके अवकाश खाते में 82 दिवस का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश एवं 475 दिवस का अर्द्ध वेतन अवकाश शेष है.

(2) अतः, राज्य शासन, एतद्द्वारा, माननीय न्यायाधिपति स्व. सुश्री वंदना कसरेकर, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, इन्दौर को 82 दिवस का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश एवं 475 दिवस का अर्द्ध वेतन अवकाश सहित कुल 300 दिवस अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है.

(3) इस अवकाश वेतन का भुगतान प्राप्त शपथ पत्र की सहमति के आधार पर उनके भाई श्री रघुनंदन कसरेकर पिता स्व. श्री वामन कसरेकर को एकमुश्त किया जावे.

भोपाल, दिनांक 29 जून 2021

क्र. एफ 833-5-10-2011-एक(1) भाग(2).—राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त माननीय मुख्य न्यायाधीश/न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति उपरान्त वर्तमान में देय अर्दली भत्ता क्रमशः रुपये 6000/- एवं रुपये 5000/- के स्थान पर उच्च न्यायालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वर्तमान में देय न्यूनतम वेतन रुपये 17,360 (मूल वेतन रुपये 15,500+डी.ए. रुपये 1860/-) स्वीकृत किया करता है.

यह आदेश मंत्रि-परिषद् आदेश आयटम क्रमांक 11 दिनांक 22 जून 2021 को लिए गए निर्णय के पालन में जारी किया गया है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीषा सेंतिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 21 जून 2021

क्र. 776-784-2021-एक(1).—माननीय न्यायाधिपति, श्री शैलेन्द्र शुक्ला, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर का ओ.एस.डी.-कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय, जबलपुर के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक डी-1209-(दो-1-2/2019), दिनांक 22 मार्च 2021 में उल्लेखित अनुक्रम में उपभोग नहीं की गई एल.टी.सी. के बदले में स्पेशल कैश पैकेज के अन्तर्गत 10 दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है. अवकाश नगदीकरण का यह चतुर्थ अवसर है.

क्र. 777-834-2021-एक(1).—माननीय न्यायाधिपति, श्री एस. ए. धर्माधिकारी, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर का ओ.एस.डी.-कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय, जबलपुर के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक एक-1011-(दो-1-17/2016), दिनांक 23 मार्च 2021 में उल्लेखित अनुक्रम में उपभोग नहीं की गई एल.टी.सी. के बदले में स्पेशल कैश पैकेज के अन्तर्गत 10 दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है. अवकाश नगदीकरण का यह द्वितीय अवसर है.

क्र. 778-835-2021-एक(1).—माननीय न्यायाधिपति, श्री शील नागू, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर का ओ.एस.डी.-कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय, जबलपुर के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक डी-1367-(दो-1-6/2013), दिनांक 31 मार्च 2021 में उल्लेखित अनुक्रम में उपभोग नहीं की गई एल.टी.सी. के बदले में स्पेशल कैश पैकेज के अन्तर्गत 10 दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है. अवकाश नगदीकरण का यह तृतीय अवसर है.

क्र. 779-837-2021-एक(1).—माननीय न्यायाधिपति, श्री सुबोध अभ्यंकर, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर को ओ.एस.डी.-कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय, जबलपुर के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक बी-2441-(दो-1-5/2019), दिनांक 18 मई 2021 में उल्लेखित अनुक्रम में उपभोग नहीं की गई एल.टी.सी. के बदले में स्पेशल कैश पैकेज के अन्तर्गत 10 दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है. अवकाश नगदीकरण का यह चतुर्थ अवसर है.

क्र. 780-804-2021-एक(1).—माननीय न्यायाधिपति, श्री आनंद पाठक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर का ओ.एस.डी.-कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय, जबलपुर के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक बी-2030(दो-1-7/2021), दिनांक 3 अप्रैल 2021 में उल्लेखित अनुक्रम में उपभोग नहीं की गई एल.टी.सी. के बदले में स्पेशल कैश पैकेज के अन्तर्गत 10 दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है. अवकाश नगदीकरण का यह प्रथम अवसर है.

क्र. 782-839-2021-एक(1).—माननीय न्यायाधिपति, श्री राजीव कुमार दुबे, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को ओ.एस.डी.-कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय, जबलपुर के प्रस्ताव क्रमांक ए-1379-(दो-1-5/2018), दिनांक 25 मई 2021 के अनुक्रम में दिनांक 26 अप्रैल से 8 मई 2021 तक का कुल तेरह दिवस का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रंजना पाटने, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 23 जून 2021

क्र. 790-788-2021-एक(1).—माननीय न्यायाधिपति, श्री मोहम्मद फहीम अनवर, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर का ओ.एस.डी.-कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय, जबलपुर के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक ए-1047 (दो-1-17/2019), दिनांक 25 मार्च 2021 में उल्लेखित अनुक्रम में दिनांक 13 से 14 मार्च 2021 तक सार्वजनिक अवकाश के साथ एल.टी.सी. का उपयोग करने के कारण 10 दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है. अवकाश नगदीकरण का यह पंचम अवसर है.

क्र. 792-840-2021-एक(1).—माननीय न्यायाधिपति, श्री विवेक रूसिया, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर का ओ.एस.डी.-कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय, जबलपुर के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक बी-2437 (दो-1-12/2017), दिनांक 18 मई 2021 में उल्लेखित अनुक्रम में उपभोग नहीं की गई एल.टी.सी. के बदले में स्पेशल कैश पैकेज के अन्तर्गत 10 दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है. अवकाश नगदीकरण का यह तृतीय अवसर है.

क्र. 794-838-2021-एक(1).—माननीय न्यायाधिपति, श्री बी. के. श्रीवास्तव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर का ओ.एस.डी.-कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय, जबलपुर के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक ए-1377 (दो-1-15/2018), दिनांक 25 मई 2021 में उल्लेखित अनुक्रम में दिनांक 28 मार्च से 14 अप्रैल 2021 तक, दस दिवस के अवकाश पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित/सार्वजनिक अवकाश के साथ एल.टी.सी. का उपभोग करने के कारण 10 दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है. अवकाश नगदीकरण का यह चतुर्थ अवसर है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनील मडावी, अवर सचिव.

गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 1 जुलाई 2021

क्र.-एफ 1(ए)02-2012-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री आबिद खान, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, विशेष शाखा (सामान्य), पु. मु., भोपाल को दिनांक 30 अप्रैल से 13 मई 2021 तक, चौदह दिवस लघुकृत/परिवर्तित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से अट्ठाईस दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री आबिद खान, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आबिद खान, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1(ए) 90-2011-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री अनिल कुमार शर्मा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, सागर जोन सागर ने दिनांक 1 से 9 जुलाई 2021 तक, नौ दिवस अर्जित अवकाश एवं 10-11 जुलाई 2021 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) श्री अनिल कुमार शर्मा, भापुसे के अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री आर. एस. डहेरिया, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, सागर रेन्ज, सागर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार शर्मा, भापुसे, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, सागर जोन, सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अनिल कुमार शर्मा, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री अनिल कुमार शर्मा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिल कुमार शर्मा, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 2 जुलाई 2021

क्र.-एफ 1(ए)188-1991-ब-2-दो.—राज्य शासन, डॉ. एस.डब्ल्यू. नकवी, भापुसे, पुलिस महानिदेशक (नारकोटिक्स), पु. मु., भोपाल को दिनांक 10 अप्रैल से 1 मई 2021 तक, बाईस दिवस लघुकृत/परिवर्तित अवकाश एवं दिनांक 2 मई 2021 के

विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से चवालीस दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.

(3) अवकाशकाल में डॉ. एस. डब्ल्यू. नकवी, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. एस. डब्ल्यू. नकवी, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्नू भलावी, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 7 जुलाई 2021

पंजी क्र. 2461-2021-इक्कीस-ब-(एक).—राज्य शासन, एतद्द्वारा, उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री दीपेश कुमार तिवारी, रजिस्ट्रार (न्यायिक-2), उच्च न्यायालय, जबलपुर को प्रभारी रजिस्ट्रार के पद पर एवं श्री अमित निगम, आठवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, भोपाल को उप कल्याण आयुक्त के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किये जाने हेतु उनकी सेवाएं कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस पीड़ित, भोपाल की स्थापना पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सौंपता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गोपाल श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मई/1 जून 2021

क्र. 2015-2021-इक्कीस-ब-(एक).—राज्य शासन वर्ष 2022 में अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप निम्नलिखित न्यायिक सेवा के अधिकारियों को कंडिका-5 में अंकित दिनांक से सेवानिवृत्त किए जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करता है:—

क्र.	अधिकारी का नाम	जन्मतिथि	अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने की अवधि	सेवानिवृत्ति दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्री राम प्रताप सिंह	6-01-1962	5-01-2022	31-01-2022
2	श्री गोपाल श्रीवास्तव	7-01-1962	6-01-2022	31-01-2022
3	श्रीमती इन्द्रा सिंह	29-01-1962	28-01-2022	31-01-2022
4	श्री वाचस्पति मिश्र	7-02-1962	6-02-2022	28-02-2022
5	श्री योगेश दत्त शुक्ल	08-02-1962	07-02-2022	28-02-2022
6	श्री कृष्ण गोपाल सुरेका	09-02-1962	08-02-2022	28-02-2022
7	श्री विमल प्रकाश	15-02-1962	14-02-2022	28-02-2022
8	श्री संजय कुमार चतुर्वेदी	22-02-1962	21-02-2022	28-02-2022
9	श्री अजय कुमार गर्ग	01-04-1962	31-03-2022	31-03-2022
10	श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा (सीनियर)	20-04-1962	19-04-2022	30-04-2022
11	श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा (जूनियर)	01-05-1962	30-04-2022	30-04-2022
12	श्रीमती सविता दुबे	05-05-1962	04-05-2022	31-05-2022
13	सुश्री शोभा पोरवाल	26-05-1962	25-05-2022	31-05-2022
14	श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव (सीनियर)	15-06-1962	14-06-2022	30-06-2022
15	कुमारी जसवीर कौर सासन	22-06-1962	21-06-2022	30-06-2022
16	श्री श्यामा चरण उपाध्याय	04-07-1962	03-07-2022	31-07-2022
17	श्री रामजी लाल ताम्रकर	08-07-1962	07-07-2022	31-07-2022
18	श्री विनोद कुमार	15-07-1962	14-07-2022	31-07-2022
19	श्री सुदीप कुमार श्रीवास्तव (सीनियर)	19-07-1962	18-07-2022	31-07-2022
20	श्री उपेन्द्र कुमार सिंह	27-07-1962	26-07-2022	31-07-2022
21	श्री ओंकार नाथ	01-08-1962	31-07-2022	31-07-2022

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
22	श्री विष्णु कुमार सोनी	10-08-1962	09-08-2022	31-08-2022
23	श्री अमरनाथ केशरवानी	15-08-1962	14-08-2022	31-08-2022
24	श्री अनिल कुमार भाटिया	23-09-1962	22-09-2022	30-09-2022
25	श्री अतुल्य सराफ	23-09-1962	22-09-2022	30-09-2022
26	श्री मोहन प्रसाद तिवारी	12-10-1962	11-10-2022	31-10-2022
27	श्री अनिल कुमार अग्रवाल	20-10-1962	19-10-2022	31-10-2022
28	श्री काशिफ नदीम खान	23-10-1962	22-10-2022	31-10-2022
29	श्री शिव चरण पाण्डेय	01-12-1962	30-11-2022	30-11-2022
30	श्री दीपक कुमार पाण्डेय	04-12-1962	03-12-2022	31-12-2022
31	श्री रमेश कुमार श्रीवास्तव	05-12-1962	04-12-2022	31-12-2022
32	श्री रूपेश चंद्र वार्ष्णेय	27-12-1962	26-12-2022	31-12-2022

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 2 जुलाई 2021

फा. क्र. 2148-1826-इक्कीस-ब (दो)-2021.—राज्य शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1974 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (8) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में मध्यप्रदेश राज्य के प्रत्येक सत्र खण्ड में भारतीय दण्ड संहिता एवं अन्य अधिनियम के अन्तर्गत जघन्य एवं सनसनीखेज अपराध के रूप में चिन्हित अपराधों से संबंधित सत्र प्रकरणों में अभियोजन का संचालन करने के लिये, **विशेष लोक अभियोजक नियुक्ति विषयक पूर्ववर्ती आदेशों को अतिष्ठित करते हुए,** मध्यप्रदेश राज्य के प्रत्येक जिले में पदस्थ उपसंचालक, अभियोजन/जिला लोक अभियोजन अधिकारी/अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी के साथ ही ऐसे समस्त सहायक जिला अभियोजन अधिकारियों, जिनकी सेवा अवधि 10 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी हैं एतद्द्वारा विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी जिले के लिए, ऐसे नियुक्त किये गये विशेष लोक अभियोजकों के मध्य जघन्य एवं सनसनीखेज अपराध के रूप में चिन्हित अपराधों से संबंधित सत्र प्रकरणों का आवंटन अथवा कार्य वितरण संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा जायेगा.

यह आदेश दिनांक 2 जुलाई 2021 से प्रभावशील होगा.

फा. क्र. 2265-इक्कीस-ब(दो)-2021.—राज्य शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 52 सन् 1974) की धारा 24(8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मुख्यालय भोपाल में संसद सदस्यों एवं विधान सभा सदस्यों के विरुद्ध पंजीबद्ध अपराधों के विचारण हेतु अभिहित विशेष न्यायालय, इक्कीसवें अपर सत्र न्यायाधीश, भोपाल, न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों के संचालन हेतु शासन की ओर श्री कमल किशोर वर्मा, अधिवक्ता को एतद्द्वारा विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता हैं.

श्री कमल किशोर वर्मा, अधिवक्ता को उक्त प्रकरण में पैरवी के फलस्वरूप फीस विधि विभाग की अधिसूचना दिनांक 15 जुलाई 2007 के अनुसार अधिकतम सीमा मासिक न होकर 7,000/- रुपये प्रति होगी तथा भुगतान प्रकरण समाप्ति पर देय होगा, जिसका भुगतान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल द्वारा किया जावेगा.

फा. क्र. 2410-इक्कीस-ब(एक).—राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का संख्यांक 39) एवं यथा-संशोधित विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 1994 (1994 का संख्यांक 59) की धारा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से श्री धर्मेन्द्र सिंह, विशेष न्यायाधीश, SC/ST (P.A.) ACT, गुना को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर में सदस्य-सचिव के रूप में, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है.

F. No.2410-XXI-B (1) .—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 6 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (No. 39 of 1987) as amended by Legal Services Authorities (Amendment) Act, 1994 (No. 59 of 1994), the State Government in consulation with the Hon'ble Chief Justice of High Court of Madhya Pradesh appoints on deputation Shri Dharmendra Singh, Special Judge, SC/ST (P.A) ACT, Guna as Member-Secretary of Madhya Pradesh Legal Service Authority, with effect from the date he assumes office.

फा. क्र. 2411-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के आदेश क्र. 510-गोपनीय-2021 दो-2-9-97, दिनांक 1 जुलाई 2021 द्वारा मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में कार्यरत् न्यायिक अधिकारियों को निम्नानुसार प्रतिनियुक्ति के आधार पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक पदस्थ किये जाने संबंधी आदेश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है:—

क्र. (1)	नाम (2)	कहां से (3)	कहां को (4)	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (5)
1	श्री अरविन्द कुमार जैन, षष्ठम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन.	उज्जैन	उज्जैन	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उज्जैन की हैसियत से श्री शशिकांत वर्मा के स्थान पर.
2	श्री राकेश कुमार सोनी, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी.	बड़वानी	बड़वानी	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बड़वानी की हैसियत से रिक्त पद पर.
3	श्री मनीष सिंह ठाकुर, ए.एस. जे. विशेष न्यायालय क्र. 9 विद्युत् अधिनियम, जबलपुर.	जबलपुर	जबलपुर	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर की हैसियत से रिक्त पद पर.
4	श्रीमती दीपिका मालवीय, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल.	बैतूल	बैतूल	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बैतूल की हैसियत से श्री आदेश कुमार मालवीय के स्थान पर.
5	श्री दिनेश कुमार नोटिया, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश, कटनी.	कटनी	कटनी	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कटनी की हैसियत से कुमारी श्वेता गोयल के स्थान पर.
6	डॉ. प्रीति श्रीवास्तव, चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला.	मण्डला	मण्डला	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मण्डला की हैसियत से रिक्त पद पर.
7	श्री विकास चन्द्र मिश्र, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर.	मण्डलेश्वर	मण्डलेश्वर	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मण्डलेश्वर की हैसियत से श्री भारत सिंह रावत के स्थान पर.
8	श्रीमती अर्चना सिंह, षष्ठम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी.	शिवपुरी	शिवपुरी	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शिवपुरी की हैसियत से रिक्त पद पर.
9	श्रीमती मीनल श्रीवास्तव, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बासौदा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, बासौदा जिला विदिशा.	बासौदा	राजगढ़	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजगढ़ की हैसियत से रिक्त पद पर.

फा. क्र. 2412-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, श्रीमती स्वपन श्री सिंह, I AJ to I CJ-I नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश को आगामी आदेशपर्यन्त उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर में उपसचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति पर एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

फा. क्र. 2413-2021-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को एतद्द्वारा, उनके नाम के सम्मुख दर्शाये अनुसार पद पर पदभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है :—

क्र.	न्यायिक अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1	श्री आनंद कुमार तिवारी, रजिस्ट्रार, धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जबलपुर.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सतना की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
2	श्री महेन्द्र कुमार जैन, अट्ठाइसवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर.	द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, इन्दौर की हैसियत से श्री प्राणेश कुमार प्राण के स्थान पर.
3	श्री अरविन्द रघुवंशी, अष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, छतरपुर की हैसियत से श्री कपिल कुमार मेहता के स्थान पर.
4	श्री प्रयाग लाल दिनकर, ए.एस.जे. विशेष न्यायालय, क्र. 4 विद्युत् अधिनियम, ग्वालियर.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सिंगरौली (मुख्यालय वैढ़न) की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
5	श्रीमती उषा गेडाम, पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. अम्बेडकर नगर, जिला इन्दौर.	प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल की हैसियत से श्री योगेश दत्त (शुक्ल) के स्थान पर.
6	श्री भारत सिंह रावत, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मण्डलेश्वर.	अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
7	श्री प्रवीणा व्यास, ए.एस.जे. विशेष न्यायालय क्र. 6 विद्युत् अधिनियम, इन्दौर.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, इन्दौर के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
8	श्रीमती शशिकान्ता वैश्य, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
9	श्री कालू सिंह बारिया, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
10	श्री सुभाष सोलंकी, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कुक्षी, जिला धार.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, टीकमगढ़ की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

(1)	(2)	(3)
11	श्री मनोज कुमार मण्डलाई, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सेंधवा, जिला बड़वानी.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, श्योपुर की रिक्त हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
12	श्री योगेश दत्त (शुक्ल), प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल की हैसियत से श्री रामानंद चंद के स्थान पर.
13	श्री प्राणेश कुमार प्राण, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, इन्दौर.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, इन्दौर की हैसियत से श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा (जूनियर) के स्थान पर.

उक्त अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

फा. क्र. 2414-2021-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री अरूण कुमार सिंह (सीनि.) जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल में सचिव के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है.

भोपाल, दिनांक 6 जुलाई 2021

फा. क्र. 2410-इक्कीस-ब(एक) **शुद्धिपत्र.**—राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्र. 2410-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 2-05 जुलाई 2021 की पंक्ति क्र. 12 में Madhya Pradesh Legal Service Authority के स्थान पर "Madhya Pradesh State Legal Service Authority" एवं अंतिम पंक्ति में Authority with effect के स्थान पर "Authority, Jabalpur with effect" पढ़ा जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गोपाल श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 6 जुलाई 2021

संशोधन

फा. क्र. 2265-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 5 जुलाई 2021 के द्वितीय पैरा की पंक्ति दूसरी में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करता है:—

''अधिसूचना दिनांक 15 जुलाई 2007 के अनुसार अधिकतम सीमा मासिक न होकर 7,000/- रुपये प्रति होगी'' के स्थान पर ''अधिसूचना दिनांक 15 नवम्बर 2007 के अनुसार न होकर 7,000/- रुपये प्रति प्रकरण होगी'' पढ़ा जावे.

भोपाल, दिनांक 8 जुलाई 2021

पंजी क्र. 2237-2021-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, एतद्द्वारा, तहसील आमला, जिला बैतूल में विभागीय आदेश दिनांक 20 मार्च 2002 द्वारा नियुक्त नोटरी, श्री प्रयागराज महाले का निधन होने के कारण उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.

पंजी क्र. 2238-2021-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, एतद्द्वारा, तहसील गुलाना, जिला शाजापुर में विभागीय आदेश दिनांक 17 सितम्बर 2018 द्वारा नियुक्त नोटरी, श्री श्रीधर राव जोशी का निधन होने के कारण उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रशांत कुमार, अपर सचिव.

पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

संशोधन आदेश

भोपाल, दिनांक 10 जून 2021

क्र. 444-425-2021-बत्तीस-3.—भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम, 2017 के परिप्रेक्ष्य में इस विभाग के आदेश क्रमांक 22-3225-2017-अठारह-5, दिनांक 2 जनवरी 2018 (प्रति संलग्न) द्वारा राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण का गठन किया गया था. राज्य शासन द्वारा उक्त प्राधिकरण में प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग को भी भारसाधक पदेन सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है.

2. शेष शर्तें उक्त आदेश दिनांक 2 जनवरी 2018 के अनुसार ही रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राकेश कुशरे, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 15 जून 2021

क्र. एफ-5-1-2017-अठारह-5.—भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक का. आ. 2277 (अ), दिनांक 11 जून 2021 मध्यप्रदेश राज्य के लिए राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (सिया) एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक) का गठन निम्नानुसार किया गया है:—

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (सिया)—

(1)	श्री अरूण कुमार भट्ट, भाप्रसे (से.नि.), डी-11/20, चार इमली, भोपाल.	—	अध्यक्ष
(2)	श्री अनिल कुमार शर्मा, ई-8/67, बसंत कुंज, शाहपुरा, भोपाल.	—	सदस्य
(3)	कार्यपालन संचालक, एप्को	—	सदस्य-सचिव

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक)

(1)	श्री प्रवीणचंद्र दुबे, भावसे (से.नि.), आईडीए स्कीम 140, ए-1, 204, आनंद वन, इन्दौर, मध्यप्रदेश.	—	अध्यक्ष
(2)	श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, भावसे (से.नि.), एसडीएक्स-116, न्यू मिनाल रेसीडेंसी, भोपाल.	—	सदस्य
(3)	प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग साइंस, देवी अहिल्या वि. वि. तक्षशिला परिसर, खण्डवा रोड, इन्दौर.	—	सदस्य

(4)	डॉ. ए. के. शर्मा, हाउस नं. 61, फेस-1, रिवेरा टाउन, नियर माता मंदिर, भोपाल.	—	सदस्य
(5)	प्रो. अनिल प्रकाश, माइक्रोबॉयोलॉजी विभाग, बरकतउल्लाह वि. वि. एल व्ही 57, इंडस ग्रीन, फेस-1 ई-8 एक्सेटेंशन, गुलमोहर, भोपाल.	—	सदस्य
(6)	प्रो. (डॉ.) आलोक मित्तल, डिपार्टमेंट ऑफ केमेस्ट्री, मोलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, (मैनिट), भोपाल.	—	सदस्य
(7)	डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, 96, कुंजन नगर, फेस-2, होशंगाबाद रोड, भोपाल.	—	सदस्य
(8)	डॉ. रवि श्रीवास्तव, डी-4/1205, भारत सिटी, इंद्रप्रस्थ आवास योजना नगर, टीलामोर पोलिस थाना, गाजियाबाद, उत्तरप्रदेश.	—	सदस्य
(9)	सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल.	—	सदस्य-सचिव

2. उक्त सिया एवं सेक का कार्यकाल अधिसूचना जारी होने की तिथि से तीन वर्ष तक अर्थात् दिनांक 11 जून 2021 से 10 जून 2024 तक रहेगा.

3. उक्त राज्यस्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (सिया), मध्यप्रदेश एवं राज्यस्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक) के कर्तव्य एवं दायित्व भारत सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1553(अ), दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं अधिसूचना क्रमांक का. आ. 49(अ), दिनांक 08 जनवरी 2008 में निहित प्रावधानों के अनुसार ही होंगे.

4. उक्त सिया एवं सेक के अध्यक्ष/सदस्यों को दिये जाने वाले मानदेय/भत्तें/सुविधाएं मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 5-4-2006-बत्तीस, भोपाल दिनांक 27 फरवरी 2008 एवं आदेश क्रमांक 1222/3106/2017/18-5, दिनाांक 3 मई 2018 के अनुसार देय होंगे.

5. भारत सरकार की अधिसूचना क्रमांक का. आ. 2277 (अ), दिनांक 11 जून 2021 की कंडिका-5 एवं कंडिका-10 के अनुसार राज्यस्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (सिया), मध्यप्रदेश एवं राज्यस्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक) की बैठकों एवं कार्य संपादन हेतु रिचर्स एंड डेव्हलपमेंट विंग, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ई-5, अरेरा कॉलोनी, पर्यावरण परिसर सचिवालय निर्धारित किया जाता है.

राकेश कुशरे, उपसचिव.

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 जून 2021

क्र. एफ-11-17-2015-तीस.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 (क्र. 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत द्वारा खरऊआ गेट, ग्राम गोहद, तहसील गोहद, जिला-भिण्ड, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 11-17-2015-तीस, दिनांक 24 अगस्त 2015 द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था.

राज्य शासन की यह राय है कि उक्त अधिसूचना द्वारा राज्य संरक्षित घोषित किए गए स्मारक/क्षेत्र को व्यापक जनहित के दृष्टिगत मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 की धारा 34 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिसूचना दिनांक 24 अगस्त 2015 द्वारा राज्य संरक्षित घोषित किए गए स्मारक/क्षेत्र को अब और अधिक समय तक संरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है.

भविष्य में इस स्मारक/मंदिर की सुरक्षा एवं प्रतिमा विधिवत पंजीयन का दायित्व जिला प्रशासन का रहेगा. विकास कार्य के दौरान यह ध्यान रखा जाये कि स्मारक के पुरातत्वीय महत्व को कोई हानि न हो. साथ ही इसके पुरातत्वीय महत्व को देखते हुए समस्य प्रस्तावित विकास कार्य उप संचालक पुरातत्व, अभिलेखागर एवं संग्रहालय, ग्वालियर के मार्गदर्शन में कराया जावे.

पुरातत्वीय महत्व के इस स्मारक में शासन की मंशानुसार संरक्षण न होने पर राज्य शासन द्वारा यह अधिसूचना कभी भी निरस्त कर स्मारक को पुन: राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया जा सकेगा.

भोपाल, दिनांक 18 जून 2021

क्र. एफ-11-08-2021-तीस.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 (क्र. 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत प्राचीन मंदिर (मढी खण्डहर) बरहावली, जिला-मुरैना को संस्कृति विभाग की अधिसूचना/राजपत्र दिनांक 25 अक्टूबर 1991 द्वारा राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था.

राज्य शासन की यह राय है कि उक्त अधिसूचना द्वारा राज्य संरक्षित घोषित किए गए स्मारक/मंदिर में कोई निर्माण, मरम्मत एवं संधारण न होने से मंदिर जीर्ण-शीर्ण अवस्था में होने के कारण कलेक्टर, जिला मुरैना के प्रस्तावानुसार व्यापक जनहित के दृष्टिगत मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 की धारा 34 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा घोषित करता है कि उक्त अधिसूचना राजपत्र दिनांक 25 अक्टूबर 1991 द्वारा राज्य संरक्षित घोषित किए गए स्मारक/क्षेत्र को अब और अधिक समय तक संरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है.

भविष्य में इस स्मारक/मंदिर की सुरक्षा एवं प्रतिमा विधिवत पंजीयन का दायित्व जिला प्रशासन का रहेगा. विकास कार्य के दौरान यह ध्यान रखा जाये कि स्मारक के पुरातत्वीय महत्व को कोई हानि न हो. साथ ही इसके पुरातत्वीय महत्व को देखते हुए समस्य प्रस्तावित विकास कार्य उप संचालक पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय, ग्वालियर के मार्गदर्शन में कराया जावे.

पुरातत्वीय महत्व के इस स्मारक में शासन की मंशानुसार संरक्षण न होने पर राज्य शासन द्वारा यह अधिसूचना कभी भी निरस्त कर स्मारक को पुन: राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया जा सकेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशीष कुमार पाठक, उपसचिव.

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 जून 2021

क्र. एफ 6-29-2020-ए-ग्यारह.—बॉयलर एक्ट, 1923 की धारा 34(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, मेसर्स नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, विजयपुर, जिला-गुना, मध्यप्रदेश को वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी-3772, एमपी-4572 एवं एमपी-4897 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6(सी) के प्रवर्तन से निम्नानुसार तक की अवधि हेतु छूट प्रदान करता है:—

क्र.	बॉयलर क्रमांक	प्रमाण पत्रों की वैद्यता अवधि	छूट की अवधि
(1)	(2)	(3)	(4)
1	एमपी/3772	29-05-2021	29-05-2022
2	एमपी/4572	29-05-2021	29-05-2022
3	एमपी/4897	29-05-2021	29-05-2022

1. संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी हानि की सूचना बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18(1) की अपेक्षानुसार तत्काल संचालक, बायलर मध्यप्रदेश भोपाल को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने की दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.
2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार संचालक बायलर मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.
3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि खतरनाक स्थिति में पाया गया तो छूट समाप्त हो जावेगी.
4. नियत कालिक सफाई और नियमित रूप से तलक्षट निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.
5. भारतीय बायलर अधिनियम विनियम, 1950 के विनियम 385-क के अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी.
6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे जो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.
7. आवेदक द्वारा दिये गये आवेदन-पत्र एवं संचालक, वाष्पयंत्र द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर छूट अवधि में किसी भी तरह की दुर्घटना का दायित्व आवेदक फर्म/इकाई का होगा.

क्र. एफ 16-57-2020-ए-ग्यारह.—बॉयलर एक्ट, 1923 की धारा 34(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना दोंगलिया, जिला-खण्डवा, मध्यप्रदेश को वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी-5027 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6(सी) के प्रवर्तन से दिनांक 27 मई 2021 से 26 अगस्त 2021 तक की अवधि हेतु छूट प्रदान करता है:—

1. संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी हानि की सूचना बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18(1) की अपेक्षानुसार तत्काल संचालक, बायलर मध्यप्रदेश भोपाल को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने की दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.
2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार संचालक बायलर मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.
3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि खतरनाक स्थिति में पाया गया तो छूट समाप्त हो जावेगी.
4. नियत कालिक सफाई और नियमित रूप से तलक्षट निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.
5. भारतीय बायलर अधिनियम विनियम, 1950 के विनियम 385-क के अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी.
6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे जो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.
7. आवेदक द्वारा दिये गये आवेदन-पत्र एवं संचालक, वाष्पयंत्र द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर छूट अवधि में किसी भी तरह की दुर्घटना का दायित्व आवेदक फर्म/इकाई का होगा.

क्र. 1051-792-2021-ए-ग्यारह.—बॉयलर एक्ट, 1923 की धारा 34(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, मेसर्स नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, विजयपुर, जिला-गुना, मध्यप्रदेश को वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी-4462 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6(सी) के प्रवर्तन से दिनांक 16 जून 2021 से 15 दिसम्बर 2021 तक की अवधि हेतु छूट प्रदान करता है:—

1. संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी हानि की सूचना बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18(1) की अपेक्षानुसार तत्काल संचालक, बायलर मध्यप्रदेश भोपाल को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने की दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.
2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार संचालक बायलर मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.
3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि खतरनाक स्थिति में पाया गया तो छूट समाप्त हो जावेगी.
4. नियत कालिक सफाई और नियमित रूप से तलक्षट निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.
5. भारतीय बायलर अधिनियम विनियम, 1950 के विनियम 385-क के अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी.
6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे जो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.
7. आवेदक द्वारा दिये गये आवेदन-पत्र एवं संचालक, वाष्पयंत्र द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर छूट अवधि में किसी भी तरह की दुर्घटना का दायित्व आवेदक फर्म/इकाई का होगा.

क्र. एफ 16-28-2020-ए-ग्यारह.—बॉयलर एक्ट, 1923 की धारा 34(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, मेसर्स नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, विजयपुर, जिला-गुना, मध्यप्रदेश को वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी-4336, एमपी/4337 एवं एमपी-4338 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6(सी) के प्रवर्तन से निम्नानुसार तक की अवधि हेतु छूट प्रदान करता है:—

क्र.	बॉयलर क्रमांक	प्रमाण पत्रों की वैद्यता अवधि	छूट की अवधि
(1)	(2)	(3)	(4)
1	एमपी/4336	08-4-2021	07-10-2021
2	एमपी/4337	07-4-2021	06-10-2021
3	एमपी/4338	07-4-2021	06-10-2021

1. संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी हानि की सूचना बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18(1) की अपेक्षानुसार तत्काल संचालक, बायलर मध्यप्रदेश भोपाल को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने की दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.
2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार संचालक बायलर मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.
3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि खतरनाक स्थिति में पाया गया तो छूट समाप्त हो जावेगी.
4. नियत कालिक सफाई और नियमित रूप से तलक्षट निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.
5. भारतीय बायलर अधिनियम विनियम, 1950 के विनियम 385-क के अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी.
6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे जो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.
7. आवेदक द्वारा दिये गये आवेदन-पत्र एवं संचालक, वाष्पयंत्र द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर छूट अवधि में किसी भी तरह की दुर्घटना का दायित्व आवेदक फर्म/इकाई का होगा.

क्र. 1053-791-2021-ए-ग्यारह.—बॉयलर एक्ट, 1923 की धारा 34(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, मेसर्स मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, बिरसिंगपुर, जिला-उमरिया, मध्यप्रदेश को वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी-4000 एवं एमपी/4514 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6(सी) के प्रवर्तन से निम्नानुसार तक की अवधि हेतु छूट प्रदान करता है:—

क्र.	बॉयलर क्रमांक	प्रमाण पत्रों की वैद्यता अवधि	छूट की अवधि
(1)	(2)	(3)	(4)
1	एमपी/4000	02-07-2021	01-10-2021
2	एमपी/4514	30-07-2021	29-10-2021

1. संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी हानि की सूचना बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18(1) की अपेक्षानुसार तत्काल संचालक, बायलर मध्यप्रदेश भोपाल को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने की दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.
2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार संचालक बायलर मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.
3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि खतरनाक स्थिति में पाया गया तो छूट समाप्त हो जावेगी.
4. नियत कालिक सफाई और नियमित रूप से तलक्षट निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.
5. भारतीय बायलर अधिनियम विनियम, 1950 के विनियम 385-क के अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी.
6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे जो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.
7. आवेदक द्वारा दिये गये आवेदन-पत्र एवं संचालक, वाष्पयंत्र द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर छूट अवधि में किसी भी तरह की दुर्घटना का दायित्व आवेदक फर्म/इकाई का होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. बरोनिया, अपर सचिव.

वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 8 जुलाई 2021

क्र. एफ-25-16-2021-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है. यह वनखण्ड N 24°00'19.00" से N 24°00'29.50" उत्तर अक्षांश तथा E 80°42'19.00" से E 80°42'32.20" पूर्व देशांश के बीच स्थित है:—

अनुसूची

जिला—कटनी, तहसील—विजयराघवगढ़, वनमण्डल—कटनी, वनपरिक्षेत्र—विजयराघवगढ़

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	गुड़ेहा	गुड़ेहा	शासकीय भूमि	1093/1	2.02	**उत्तर** —संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 03 तक की कृत्रिम वन सीमा.
				1093/2	1.22	
				1093/3	0.80	**पूर्व**—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 03 से 11 तक की कृत्रिम वन सीमा.
				1103/1	0.95	
				1103/2	0.95	**दक्षिण**—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 11 से 14 तक की कृत्रिम वन सीमा.
				1105/1	1.03	
				1105/2	0.54	**पश्चिम**—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 14 से 25 तक एवं मुनारा क्रमांक 25 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा.
				1103/3	0.51	
				योग . .	8.02	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार: —

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 6-एम.पी.सी. 009/2012-बी.एच.ओ./1144, दिनांक 15 सितम्बर 2015 में अधिरोपित शर्त के अनुसार प्रबंधक, वेलस्पन एनर्जी मध्यप्रदेश लिमिटेड कटनी जिला-कटनी की स्वीकृत परियोजना कटनी जिले के ग्राम डोकरिया में 1980 मेगावाट क्षमता की ताप विद्युत् परियोजना की स्थापना में प्रभावित 7.840 हेक्टेयर राजस्व वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 8.02 हेक्टेयर वनभूमि में से अनुसूची में वर्णित गैर वनभूमि 8.02 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में न्यायालय तहसीलदार, विजयराघवगढ़ के आदेश क्रमांक रा.प्र. 01/अ-24/2014-15, दिनांक 3 मार्च 2015 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.
2. अन्य कारणों का विवरण:—निरंक

(ख) अनुसूची में वर्णित भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, तहसीलदार विजयराघवगढ़ जिला-कटनी के प्रमाण-पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:—

1. **व्यक्तिगत अधिकार.**—अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है.
2. **सामुदायिक अधिकार.**—अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है.

अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 8 जुलाई 2021

एफ-25-16-2021-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-16-2021-दस-3, दिनांक 8 जुलाई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal, the 8th July 2021

No. F-25-16-2021-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the areas, specified in the schedule below. This Forest Block lies between N 24°00'19.00" to N 24°00'29.50" North Latitude and E 80°42'19.00" to E 80°42'32.20" East Longitude :—

SCHEDULE

District—Katni, Tehsil—Vijayraghavgarh, Forest Division—Katni, Forest Range—Vijayraghavgarh

S. No.	Details of land included					Forest Block Boundaries
	Name of Forest Block	Name of Village	Head of Land	Khasara No.	Area (Hectare)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Gudeha	Gudeha	Govt. Land	1093/1	2.02	**North**—Artificial Forest boundary of protected Forest Block from Pillar No. 01 to 03.
				1093/2	1.22	
				1093/3	0.80	
				1103/1	0.95	**East**—Artificial Forest boundary of protected Forest Block from Pillar No. 03 to Pillar No. 11.
				1103/2	0.95	
				1105/1	1.03	
				1105/2	0.54	**South**—Artificial Forest boundary of protected Forest Block from Pillar No. 11 to Pillar No. 14.
				1105/3	0.51	
						West—Artificial Forest boundary of protected Forest Block from Pillar No. 14 to 25 & Pillar No. 25 to pillar No. 1.
				Total . .	8.02	

(A) Reason for Publication of Notification : —

(1) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment Forest and climate change Government of India's letter No. 6-MPC009/2012-BHO/1144, dated 15th September 2015 and in lieu of 7.840 hectare of affected revenue froest land under the sanctioned project of establishment of 1980 Megavatt Power Plant in Katni District Village Dokariya of Manager Welspun Energy Madhya Pradesh Limited Kanti District Katni. the Non Forest Land of 8.02 hectare mentioned in schedule from transferred or muted in favour of Madhya Pradesh Govt., Forest Department by No. 01/A-24/2014-15, dated 3rd March 2015 of Tehsildar Vijyarghavgarh Court for the purpose of compensatory afforestation.

(2) Details of other Reasons.—Nil.

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the land mentioned in schedule as per Tehsildar Vijyarghavgarh, District Katni Certificate are as under:—

1. **Individual's Rights** —There are no individual's Rights on the land mentioned in schedule.
2. **Communitiy's Rights**—There are no Community's Rights on the land mentioned in schedule.

Therefore the land mentioned in schedule is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Ex-officio Secy.

भोपाल, दिनांक 6 जुलाई 2021

क्र. एफ-25-25-2021-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है. यह वनखण्ड 23⁰15'0.32"N से 23⁰15'16.38" N उत्तर अक्षांश तथा 80⁰15'46.04" E से 80⁰16'10.12"E पूर्व देशांश के बीच स्थित है:—

अनुसूची

जिला—जबलपुर, तहसील—कुण्डम वनमण्डल—जबलपुर, वनपरिक्षेत्र—कुण्डम

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का मद	खसरा क्र.	रकबा (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	बार-तौरी 'अ'	तौरी (प.ह.नं. 08)	बड़े झाड़ का जंगल	01 (भाग)	13.00	**उत्तर** —संरक्षित वनखण्ड 180-भजिया के मुनारा क्रमांक 31 से मुनारा क्रमांक 30/2 तक संरक्षित वन की सीमा पश्चात् संरक्षित वनखण्ड 180-भजिया के मुनारा क्रमांक 30/2 से प्रस्तावित वनखण्ड बार-तौरी 'अ' के मुनारा क्रमांक 01 तक एवं मुनारा क्रमांक 01 से वनखण्ड बार-तौरी 'अ' के मुनारा क्रमांक 14 तक की कृत्रिम वन सीमा. **पूर्व**—वनखण्ड बार-तौरी 'अ' के मुनारा क्रमांक 14 से मुनारा क्रमांक 17 तक की कृत्रिम वन सीमा. **दक्षिण**—वनखण्ड बार-तौरी 'अ' के मुनारा क्रमांक 17 से मुनारा क्रमांक 29 तक की कृत्रिम वन सीमा. **पश्चिम**—वनखण्ड बार-तौरी 'अ' के मुनारा क्रमांक 29 से मुनारा क्रमांक 33 एवं मुनारा क्रमांक 33 से संरक्षित वनखण्ड 180-भजिया के मुनारा क्रमांक 32 तक की कृत्रिम वन सीमा पश्चात् संरक्षित वनखण्ड 180 भजिया के मुनारा क्रमांक 32 से मुनारा क्रमांक 31 तक संरक्षित वन सीमा.
				योग . .	13.00	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार: —

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 8-05/2019-FC, दिनांक 3 मार्च 2021 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर की स्वीकृत परियोजना हिरन मध्यम सिंचाई योजना में कुल प्रभावित रकबा 54.87 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में प्राप्त कुल 54.87 हेक्टेयर गैर वन भूमि में से उपरोक्त अनुसूची में वर्णित भूमि 13.00 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य के मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग पक्ष में न्यायालय कलेक्टर ग्रामीण के राजस्व प्रकरण क्रमांक 01/अ-19(3)/2017-18 संशोधित आदेश क्रमांक 3717/प्रवा.अ.कले./2018, जबलपुर दिनांक 7 दिसम्बर 2018 से नामांतरित किये जाने के कारण.

2. अन्य कारणों का विवरण:—निरंक

(ख) उपरोक्त अनुसूची में दर्शित भूमि पर तहसीलदार कुण्डम के प्रमाण-पत्र अनुसार अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:—

1. **व्यक्तिगत अधिकार.**—अनुसूची में दर्शित भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार नहीं है.

2. **सामुदायिक अधिकार.**—अनुसूची में दर्शित भूमि पर सामुदायिक अधिकार नहीं है.

अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 6 जुलाई 2021

क्र. एफ-25-25-2021-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-25-2021-दस-3, दिनांक 6 जुलाई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal, the 6th July 2021

No. F-25-25-2021-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the areas, specified in the schedule below. This Forest Block lies between 23⁰15’0.32”N to 23⁰15’16.38” N North Latitude and 80⁰15’46.04” E to 80⁰16’10.12”E East Longitude :—

SCHEDULE

District—Jabalpur Tehsil—Kundam, Forest Division—Jabalpur, Forest Range—Kundam

S. No.	Details of Land included					Forest Block Boundaries
	Name of the Forest Block	Name of Village	Head of Land	Khasara No.	Area (Hectare)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bar-Touri ‘A’	Touri (P.C. No. 08)	Bade Jhad ka Gangle	01 (Part)	13.00	**North**—Protected Forest boundary of Protected forest block 180-Bhajiya from pillar Number 31 to pillar Number 30/2 after then Artificial forest boundary of Protected forest block Bar-Touri ‘A’ Protected forest block 180-Bhajiya from pillar Number 30/2 to forest block Bar-Touri ‘A’ pillar Number 01 and from pillar Number 01 to pillar Number 14. **East**—Artificial forest boundary of forest block Bar-Touri ‘A’ from Pillar Number 14 to Pillar Number 17. **South**—Artificial forest boundary of forest block Bar-Touri ‘A’from Pillar Number 17 to Pillar Number 29.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						West—Artificial forest boundary of forest block Bar-Touri 'A' from Pillar Number 29 to Pillar Number 33 and pillar Number 33 to Protected forest block 180-Bhajiya pillar Number 32 after than Protected forest boundary of Protected forest block 180-Bhajiya Pillar Number 32 to Pillar Number 31,
				Total . .	13.00	

(A) **Reason for Publication of Notification : —**

(1) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's letter No. 8-05/2019-FC, dated 3rd March 2021 and in lieu of 54.87 hectare of total affected forest land under the sanctioned project of Hiran Medium Tank Project of The Executive Engineer, Hiran Water Resources Division, Jabalpur the above, mentioned Non forest land of 13.00 hectare in Schedule muted in favour of Madhya Pradesh Govt., Forest Department by Revised Order No. 3717/प्र.वा.अ.कले./2018, Jabalpur Dated 7th December 2018 in Revenue case no 01/अ-19(3)/2017-18 of Court Collector Rural Jabalpur for the purpose of compensatory afforestation.

(2) Details of other Reasons.—Nil.

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land mentioned in schedule as per the certificate of Tahsildar Kundam are as under:—

1. **Individual's Rights** —There are no individual's Rights on the land mentioned in schedule.
2. **Communitiy's Rights**—There are no Community's Rights on the land mentioned in schedule.

Therefore the land mentioned in schedule is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Ex-officio Secy.

भोपाल, दिनांक 6 जुलाई 2021

क्र. एफ-25-31-2021-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है. यह वनखण्ड 23°15'16.17"N से 23°15'27.24" N उत्तर अक्षांश तथा 80°16'20.82" E से 80°16'38.37"E पूर्व देशांश के बीच स्थित है:—

अनुसूची

जिला—जबलपुर, तहसील—कुण्डम वनमण्डल—जबलपुर, वनपरिक्षेत्र—कुण्डम

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का मद	खसरा क्र.	रकबा (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	बार-तौरी 'स'	तौरी (प.ह.नं. 08)	बड़े झाड़ का जंगल	01 (भाग)	10.00	**उत्तर** —आरक्षित वनखण्ड 39-कुन्दवारा के मुनारा क्रमांक 13 से मुनारा क्रमांक 09

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						तक की आरक्षित वन सीमा. **पूर्व**—आरक्षित वनखण्ड 39-कुन्दवारा के मुनारा क्रमांक 09 से वनखण्ड बार-तौरी 'स' के मुनारा क्रमांक 01 तक एवं मुनारा क्रमांक 01 से मुनारा क्रमांक 03 तक की कृत्रिम वन सीमा. **दक्षिण**—वनखण्ड बार-तौरी 'स' के मुनारा क्रमांक 03 से मुनारा क्रमांक 04 तक की कृत्रिम वन सीमा. **पश्चिम**—वनखण्ड बार-तौरी 'स' के मुनारा क्रमांक 04 से मुनारा क्रमांक 09 एवं मुनारा क्रमांक 09 से आरक्षित वनखण्ड 39-कुन्दवारा के मुनारा क्रमांक 13 कृत्रिम वन सीमा.
				योग . .	10.00	

(क) **अधिसूचना प्रकाशन का आधार: —**

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 8-05/2019-FC, दिनांक 3 मार्च 2021 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर की स्वीकृत परियोजना हिरन मध्यम सिंचाई योजना में कुल प्रभावित रकबा 54.87 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में प्राप्त कुल 54.87 हेक्टेयर गैर वन भूमि में से उपरोक्त अनुसूची में वर्णित भूमि 10.00 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य के मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग पक्ष में न्यायालय कलेक्टर ग्रामीण के राजस्व प्रकरण क्रमांक 01/अ-19(3)/2017-18 संशोधित आदेश क्रमांक 3717/प्रवा.अ.कले./2018, जबलपुर दिनांक 7 दिसम्बर 2018 से नामांतरित किये जाने के कारण.

2. अन्य कारणों का विवरण:—निरंक

(ख) उपरोक्त अनुसूची में दर्शित भूमि पर तहसीलदार कुण्डम के प्रमाण-पत्र अनुसार अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:—

1. **व्यक्तिगत अधिकार.**—उपरोक्त अनुसूची में दर्शित भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार नहीं है.
2. **सामुदायिक अधिकार.**—उपरोक्त अनुसूची में दर्शित भूमि पर सामुदायिक अधिकार नहीं है.

अत: अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 6 जुलाई 2021

क्र. एफ-25-31-2021-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-31-2021-दस-3, दिनांक 6 जुलाई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal, the 6th July 2021

No. F-25-31-2021-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the areas, specified in the schedule below. This Forest Block lies between 23°15'16.17"N to 23°15'27.24" N North Latitude and 80°16'20.82" E to 80°16'38.37"E East Longitude :—

SCHEDULE

District—Jabalpur Tehsil—Kundam, Forest Division—Jabalpur, Forest Range—Kundam

S. No.	Details of Land included					Forest Block Boundaries
	Name of the Forest Block	Name of Village	Head of Land	Khasara No.	Area (Hectare)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bar-Touri 'C'	Touri (P.C. No. 08)	Bade Jhad ka Gangle	01 (Part)	10.00	**North**—Reserved forest boundary of Reserve forest block 39-Kundwara from pillar Number 13 to pillar Number 09. **East**—Artificial forest boundary of Reserve forest block 39-Kundwara from Pillar Number 09 to forest block Bar-Touri 'C' pillar Number 01 and pillar Number 01 to pillar Number 03. **South**—Artificial forest boundary of forest block Bar-Touri 'C' from Pillar Nurnber 03 to Pillar Number 04. **West**—Artificial forest boundary of Bar-Touri 'C' from Pillar Number 04 Pillar Number 09 and Pillar Number 09 to Reserved forest block 39-Kundwara Pillar Number 13.
				Total . .	10.00	

(A) **Reason for Publication of Notification : —**

(1) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's letter No. 8-05/2019-FC, dated 3rd March 2021 and in lieu of 54.87 hectare of total affected forest land under the sanctioned project of Hiran Medium Tank Project of The Executive Engineer, Hiran Water Resources Division, Jabalpur the above, mentioned Non forest land of 10.00 hectare in schedule transferred or muted in favour of Madhya Pradesh Govt., Forest Department by Revised Order No. 3717/प्र.वा.अ.कले./2018, Jabalpur Dated 7th December 2018 in Revenue case no 01/अ-19(3)/2017-18 of Court Collector Rural Jabalpur for the purpose of compensatory afforestation.

(2) Details of other Reasons.—Nil.

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land mentioned in schedule as per the certificate of Tahsildar Kundam are as under:—

1. **Individual's Rights** —There are no individual's Rights on the land mentioned in schedule.
2. **Communitiy's Rights**—There are no Community's Rights on the land mentioned in schedule.

Therefore the land mentioned in schedule is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Ex-officio Secy.

भोपाल, दिनांक 6 जुलाई 2021

क्र. एफ-25-41-2021-दस-3.--भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है. यह वनखण्ड N-23^{0} 43'51.70" से N-23^{0}44'10.80" उत्तर अक्षांश तथा E-80^{0}31'28.30" से E-80^{0}31'50.90" पूर्व देशांश के बीच स्थित है:—

अनुसूची

जिला—कटनी, तहसील—बड़वारा, वनमण्डल—कटनी, वनपरिक्षेत्र—बड़वारा

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	भगनवारा	भगनवारा	शासकीय छोटे बडे झाड का जंगल	275/2	19.600	**उत्तर** —संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 01 से मुनारा क्रमांक 05 तक की कृत्रिम वन सीमा. **पूर्व**—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 05 से मुनारा क्रमांक 18 तक की कृत्रिम वन सीमा. **दक्षिण**—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 18 से मुनारा क्रमांक 25 तक की कृत्रिम वन सीमा. **पश्चिम**—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 25 से मुनारा क्रमांक 31 तक एवं मुनारा क्र. 31 से मुनारा क्र. 01 तक की कृत्रिम वन सीमा.
				योग . .	19.600	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार: —

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 6MPC037/2010-BHO/3371 दिनांक 12 जुलाई 2011 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग-2, बैतूल, जिला बैतूल की स्वीकृत परियोजना बैतूल जिले के अंतर्गत मोतीढाना जलाशय के निर्माण में प्रभावित 9.800 हेक्टेयर (4.800 हेक्टेयर आरक्षित वनभूमि एवं 5.00 हेक्टेयर राजस्व वनभूमि) के एवज में प्राप्त कुल 25.410 हेक्टेयर भूमि में से 19.600 हेक्टेयर उपरोक्त अनुसूची में वर्णित गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर, जिला कटनी के आदेश प्रकरण क्रमांक 125-अ-19-2016-17 दिनांक 2 अगस्त 2017 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.

2. अन्य कारणों का विवरण:—निरंक

(ख) अनुसूची की भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीदार बड़वारा जिला कटनी के प्रमाण-पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:—

1. **व्यक्तिगत अधिकार.**—अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है.
2. **सामुदायिक अधिकार.**—अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है.

अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 6 जुलाई 2021

क्र. एफ-25-41-2021-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-41-2021-दस-3.—दिनांक 6 जुलाई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal, the 6th July 2021

No. F-25-41-2021-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the areas, specified in the schedule below. This Forest Block lies between N-N-23⁰43'51.70" to N-23⁰44'10.80" North Latitude and E-80⁰31'28.30" to E-80⁰31'50.90" East Longitude :—

SCHEDULE

District—Katni, Tehsil—Badwara, Forest Division—Katni, Forest Range—Badwara

S. No.	Details of Land included					Forest Block Boundaries
	Name of Forest Block	Name of Village	Head of Land	Khasara No.	Area (Hectare)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bhaganwara	Bhaganwara	Government Forest chhote bade Jhad ka jungle	275/2	19.600	**North**—Artificial Forest Boundary of Protected Forest Block from Pillar No. 01 to Pillar No. 05. **East**—Artificial Forest Boundary of Protected Forest Block from Pillar No. 05 to Pillar No. 18. **South**—Artificial Forest Boundary of Protected Forest Block from Pillar No. 18 to Pillar No. 25. **West**—Artificial Forest Boundary of Protected Forest Block from Pillar No. 25 to Pillar No. 31 & Pillar No. 31 to Pillar No. 01.
				Total . .	19.600	

(A) Reason for Publication of Notification : —

(1) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's letter No. 6MPC037-2010-BHO-3371 dated 12th July 2011 and in lieu of 9.800 hectare of affected (Reserved Forest Land 4.800 hectare and 5.00 hectare Revenue Forest land) under the sanctioned project of Construction for Motidhana Dam in Betul District of Executive Engineer, Water Resources Betul Division District Betul, the Non Forest Land of 19.600 hectare transferred or muted in favour of M. P. Govt. Forest Department by order Case No. 125-A-19-2016-17 dated 02 August 2017 of Collector Katni Court for the purpose of compensatory afforestation.

(2) Details of other Reasons.—No.

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per Tehsildar Badwara, District katni Certificate are as under:—

1. **Individual's Rights** —There are no individual's Rights on the land mentioned in schedule.

2. **Community's Rights**—There are no Community's Rights on the land mentioned in schedule.

Therefore the land mentioned in schedule is being declared as Protected Forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Ex-officio Secy.

भोपाल, दिनांक 6 जुलाई 2021

क्र. एफ-25-42-2019-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है. यह वनखण्ड उत्तर अक्षांश N-22° 14'05.53" से N-22°14'38.25" तथा E-79°15'28.65" से E-79°16'02.52" पूर्व देशांश के बीच स्थित है:—

अनुसूची

जिला—छिंदवाड़ा, तहसील—अमरवाड़ा, वनमण्डल—पूर्व छिंदवाड़ा वनमंडल (क्षेत्रीय), वनपरिक्षेत्र—चौरई

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	बड़ेला 'बी'	बड़ेला	शासकीय भूमि	169	1.726	**उत्तर** —संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 15 से 35 तक की कृत्रिम वन सीमा.
				170/1	0.724	**पूर्व**—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 35 से 62 तक की कृत्रिम वन सीमा.
				170/2	0.724	**दक्षिण**—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 62 से 95 तक की कृत्रिम वन सीमा.
				170/3	0.725	**पश्चिम**—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 95 से 15 तक की कृत्रिम वन सीमा.
				171	0.773	
				172	0.793	
				173	0.849	
				174	1.114	
				175	2.636	
				176/1	0.506	
				176/2	0.506	
				176/3	1.388	
				177/1	1.217	
				177/2	0.460	
				178/1	0.046	
				178/2	0.509	
				179	0.303	
				180	1.032	
				181/2	0.549	
	बड़ेला 'बी'	बड़ेला	शासकीय भूमि	181/3	1.098	
				182/2	0.607	
				183	1.255	
				186/1	0.214	
				187/3	0.726	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				187/4	0.608	
				187/5	1.125	
				188	0.291	
				189	0.150	
				190	0.405	
				191	0.336	
	बड़ेला 'बी'	केकड़ा	शासकीय भूमि	8	0.328	
				10	0.247	
				11	0.749	
				13	0.397	
				14	0.761	
				15/1	0.202	
				15/2	0.417	
				15/3	0.352	
				16/1	0.012	
				16/2	0.769	
				16/3	0.595	
				16/4	0.194	
				18,20/2	0.214	
				19	0.417	
				23/1	0.490	
				23/2	0.381	
				24	0.214	
				25	0.789	
				27/1	0.501	
				27/3	0.405	
				28	0.652	
				29	2.667	
	बड़ेला 'बी'	केकड़ा	शासकीय भूमि	31	1.546	
				32	1.036	
				33/1, 40/7	0.701	
				33/2, 40/5	1.639	
				33/3, 40/6	1.639	
				योग . .	41.709	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार: —

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 8-24/2016-FC दिनांक 20 मार्च 2017 में अधिरोपित शर्त के अनुसार सी. बी. एम. प्रोजेक्ट रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, शहडोल की स्वीकृत परियोजना मिथेन गैस दोहन परियोजना में प्रभावित 77.05 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में पूर्व छिंदवाड़ा वनमंडल में प्राप्त कुल 63.054 हेक्टेयर राजस्व भूमि में से उपरोक्त अनुसूची में वर्णित भूमि 41.709 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर, छिंदवाड़ा के आदेश क्रमांक-01-02-अ-19(4)-2016-17 दिनांक 28 अप्रैल 2017 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.

2. अन्य कारणों का विवरण:—निरंक

(ख) उपरोक्त अनुसूची में दर्शित भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीदार अमरवाड़ा जिला छिंदवाड़ा के प्रमाण-पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:—

1. **व्यक्तिगत अधिकार**.—अनुसूची में दर्शित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है.

2. **सामुदायिक अधिकार**.—अनुसूची में दर्शित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है.

अत: अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 6 जुलाई 2021

क्र. एफ-25-42-2021-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-42-2021-दस-3.—दिनांक 6 जुलाई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal, the 6th July 2021

No. F-25-42-2019-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the areas, specified in the schedule below. This Forest Block lies between North Latitude N-22^{0}14'05.53" to N-22^{0}14'38.25" & E-79^{0}15'28.65" to E-79^{0}16'02.52" East Longitude :—

SCHEDULE

District—Chhindwara, Tehsil—Amarwara, Forest Division—East Chhindwara Divison (T), Forest Range—Chourai

S. No.	Details of Land included					Forest Block Boundaries
	Name of Forest Block	Name of Village	Head of Land	Khasra No.	Area (Hectare)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Badela 'B'	Badela	Govt. land	169	1.726	**North**—Artificial Forest Boundary from Piller No. 15 to 35 of Protected Forest Block.
				170/1	0.724	**East**—Artificial Forest Boundary from Piller No. 35 to 62 of Protected Forest Block.
				170/2	0.724	**South**—Artificial Forest Boundary from Piller No. 62 to 95 of Protected Forest Block.
				170/3	0.725	**West**—Artificial Forest Boundary from Piller No. 95 to 15 of Protected Forest Block.
				171	0.773	
				172	0.793	
				173	0.849	
				174	1.114	
				175	2.636	
				176/1	0.506	
				176/2	0.506	
				176/3	1.388	
				177/1	1.217	
				177/2	0.460	
				178/1	0.046	
				178/2	0.509	
				179	0.303	
				180	1.032	
				181/2	0.549	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				181/3	1.098	
				182/2	0.607	
	Badela 'B'	Badela	Govt. land	183	1.255	
				186/1	0.214	
				187/3	0.726	
				187/4	0.608	
				187/5	1.125	
				188	0.291	
				189	0.150	
				190	0.405	
				191	0.336	
	Badela 'B'	Kekra	Govt. land	8	0.328	
				10	0.247	
				11	0.749	
				13	0.397	
				14	0.761	
				15/1	0.202	
				15/2	0.417	
				15/3	0.352	
				16/1	0.012	
				16/2	0.769	
				16/3	0.595	
				16/4	0.194	
				18,20/2	0.214	
				19	0.417	
				23/1	0.490	
				23/2	0.381	
				24	0.214	
				25	0.789	
				27/1	0.501	
				27/3	0.405	
				28	0.652	
				29	2.667	
				31	1.546	
				32	1.036	
				33/1, 40/7	0.701	
	Badela 'B'	Kekra	Govt. land	33/2, 40/5	1.639	
				33/3, 40/6	1.639	
				Total . .	41.709	

(A) Reason for Publication of Notification : —

(1) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's letter No. 8-24-2016-FC dated 20th March 2017 and in lieu of 77.05 hectare of affected forest land under the sanctioned project of C. B. M. Project Reliance Industries Ltd. Shahdol of General Manager C. B. M. Project the above mentioned Revenue Land of 41.709 hectares out of 63.054 hectares received transferred or muted in favour of M. P. Govt., Forest Department by order No. 01-02-A-19(4) 2016-17 dated 28 April 2017 of Collector Chhindwara for the purpose of compensatory afforestation.

(2) Details of other Reasons.—Nil.

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land mention in schedule as per report Certificated of Tahsildar-Amarwara District Chhindwara are as under:—

1. **Individual's Rights** —There are no individual's Rights on the land mentioned in schedule.
2. **Community's Rights**—There are no Community's Rights on the land mentioned in schedule.

Therefore the land mentioned in schedule is being declared as Protected Forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Ex-officio Secy.

भोपाल, दिनांक 6 जुलाई 2021

क्र. एफ-25-54-2021-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है. यह संरक्षित वनखण्ड संदई 23⁰39'50.40" से 23⁰39'26.90" उत्तर अक्षांश तथा 79⁰8'55.40" से 79⁰8'29.80" पूर्व देशांश के बीच स्थित है:—

अनुसूची

जिला—सागर, तहसील—रहली, वनमण्डल—दक्षिण सागर (सा.), वनपरिक्षेत्र—ढाना

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	वनखण्ड की सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	संदई	संदई	पहाड़ चट्टान (शासकीय भूमि)	224	36.610	**उत्तर** —संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से 4 तक की कृत्रिम वन सीमा. **पूर्व**—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 4 से 7 तक की कृत्रिम वन सीमा. **दक्षिण**—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 7 से 9 तक की कृत्रिम वन सीमा. **पश्चिम**—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 9 से 1 तक की कृत्रिम वन सीमा.
				योग . .	36.610	

(क) **अधिसूचना प्रकाशन का आधारः** —

1. पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक F. No. 8-13/2015-FC दिनांक 27-07-2016 प्रथम एवं पत्र क्रमांक F. No. 8-13/2015-FC दिनांक 11-07-2018 अंतिम स्वीकृति में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग संभाग राहतगढ़, जिला सागर, म. प्र. की स्वीकृत बीना संयुक्त सिंचाई एवं वृहद परियोजना में प्रभावित 1024.440 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में कुल रकबा 39.610 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में अनुसूची में वर्णित 36.610 हेक्टेयर गैर वनभूमि कलेक्टर सागर के आदेश क्रमांक/रा.प्र. क्रमांक/988/री. क्ले./14 दिनांक 12-02-2014 द्वारा हस्तांतरित अथवा नामांकित दिये जाने के कारण.

(ख) अनुसूची में दर्शित उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार रहली द्वारा दिये गये प्रमाण-पत्र अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:—

(अ) **व्यक्तिगत अधिकार.**—अनुसूची में उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है.

(ब) **सामुदायिक अधिकार.**—अनुसूची में उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है.

अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 6 जुलाई 2021

क्र. एफ-25-54-2021-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-54-2021-दस-3, दिनांक 6 जुलाई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal, the 6th July 2021

No. F-25-54-2021-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the areas, specified in the schedule below. This Protected Forest Block Sandai lies between N 23°39'50.40" to N 23°39'26.90" North Latitude and E 79°8'55.40" to E 79°8'29.80" East Longitude :—

SCHEDULE

District—Sagar, Tehsil—Rehli, Forest Division—South Sagar (territorial), Forest Range—Dhana

S. No.	Details of land included					Forest Block Boundaries
	Name of the Forest Block	Name of Village	Head of Land	Khasara No.	Area (Hectare)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sandai	Sandai	hill rock (Charnoi Govt. land)	224	36.610	**North**—Protected Forest Block Pillar No. 1 to 4 Artificial Forest Boundary. **East**—Protected Forest Block Pillar No. 4 to 7 Artificial Forest Boundary. **South**—Protected Forest Block Pillar No.7 to 9 Artificial Forest Boundary. **West**—Protected Forest Block Pillar No. 9 to 1 Artificial Forest Boundary.
				Total . .	36.610	

(A) Reason for Publication of Notification : —

(1) In accordance with the conditions laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's letter No. F. No. 8-13-2015-FC, dated 27th July 2016 and 8-13/2015-FC, Bhopal dated 11th July 2018 and in lieu of 1024.440 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Beena Joint Irrigation and Expansion Project of Executive Engineer Water Resource Division Rahatgarh Sagar Madhya Pradesh the above mentioned 36.610 hectare Non forest land mentioned in schedule transferred or muted in favour of Madhya Pradesh Government, Forest Department by Collector Sagar order No. 988/ री.क्ले/14, dated 12th February 2014 for the purpose of compensatory afforestation.

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land mentioned in schedule as per Certificate of Tehsildar Rehli are as under:—

1. **Individual Rights** —Above mentioned land in schedule dose not have any individuals Rights
2. **Community Rights**—Above mentioned land in schedule dose not have any communities Rights

Therefore the land mentioned in schedule is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Ex-officio Secy.

भोपाल, दिनांक 6 जुलाई 2021

क्र. एफ-25-55-2021-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है. यह वनखण्ड 23º55'44.50" से 23º56'02.20" उत्तर अक्षांश तथा 76º11'29.74" से 76º11'51.20" पूर्व देशांश के बीच स्थित है:—

अनुसूची

जिला—आगर मालवा, तहसील—नलखेड़ा, वनमण्डल—सामान्य शाजापुर, वनपरिक्षेत्र—सुसनेर

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	गुर्जरखेड़ी	गुर्जरखेड़ी	गैर मुमकिन	1	20.42	**उत्तर** —संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से 4 तक की कृत्रिम वन सीमा. **पूर्व**—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 4 से 10 तक की कृत्रिम वन सीमा. **दक्षिण**—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 10 से 15 तक की कृत्रिम वन सीमा. **पश्चिम**—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 15 से 1 तक की कृत्रिम वन सीमा.
				योग . .	20.42	

(क) **अधिसूचना प्रकाशन का आधारः —**

1. 1. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक F. No.8-02-2014-FC, दिनांक 15 सितम्बर 2015 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़ (ब्यावरा) की स्वीकृत वनमंडल शाजापुर में कुण्डालिया वृहद सिंचाई परियोजना में प्रभावित 405.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 405.139 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से अनुसूची में वर्णित भूमि 20.42 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला शाजापुर के आदेश क्रमांक/रीडर-1/2012/930-31, दिनांक 19 सितम्बर 2012 एवं पत्र क्रमांक/रीडर-1/2013/566, दिनांक 12 अगस्त 2013 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.

2. **अन्य कारणों का विवरणः**—निरंक

(ख) उपरोक्त अनुसूची की भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीदार आगर के प्रतिवेदन क्रमांक/क्यू, दिनांक 20 जुलाई 2016 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:—

(अ) **व्यक्तिगत अधिकार.**—निरंक

(ब) **सामुदायिक अधिकार.**—निरंक

अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 6 जुलाई 2021

क्र. एफ-25-55-2021-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-55-2021-दस-3.—दिनांक 6 जुलाई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal, the 6th July 2021

No. F-25-55-2021-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the areas, specified in the schedule below. This Forest Block lies between 23^0 55'44.50" to $23^0$56'02.20" North Latitude and $76^0$11'29.74" to $76^0$11'51.20" East Longitude :—

SCHEDULE

District—Agar Malwa, Tehsil—Nalkheda, Forest Division—Shajapur (T), Forest Range—Susner

S. No.	Details of Land included					Forest Block Boundaries
	Name of the Forest Block	Name of Village	Head of Land	Khasara No.	Area (Hectare)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Gurjarkhedi	Gurjarkhedi	Gair mumkin	1	20.42	**North**—Artificial Forest boundary from Pillar Number 1 to 4 of Protected Forest block. **East**—Artificial Forest boundary from Pillar Number 4 to 10 of Protected Forest block. **South**—Artificial Forest boundary from Pillar Number 10 to 15 of Protected Forest block. **West**—Artificial Forest boundary from Pillar Number 15 to 1 of Protected Forest block.
				Total . .	20.42	

(A) **Reason for Publication of Notification : —**

(1) In accordance with the conditions laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's letter No. F. No. 8-02-2014-FC, dated 15th September 2015 and in lieu of 405.00 hectare of affected forest land under the Kundaliya Major Irrigation Project, in Forest Division Shajapur of executive Enginner Water Resource Department, Rajgarh (Biaora), the above mentioned 20.42 hectare Non Forest land in schedule out of 405.139 hectare transferred or muted in favour of Madhya Pradesh Government, Forest Department by order No. Reader-01/2012/930-31 dated 19th September 2012 & 1/2013/566, dated 12th August 2013 of Collector Shajapur for the purpose of compensatory afforestation.

(2) Details of other Reasons.—Nil.

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land mentioned in schedule as per report No. Q dated 20th July 2016 of Tehsildar Agar are as under:—

1. **Individual Rights** —Nil
2. **Community Rights**—Nil

Therefore the land mentioned in schedule is being declared as Protected Forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Ex-officio Secy.

भोपाल, दिनांक 6 जुलाई 2021

क्र. एफ-25-59-2021-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है. यह वनखण्ड N 23°10'48.739" से N 23°10'36.185" उत्तर अक्षांश तथा E 77°21'33.373" से E 77°21'50.367" पूर्व देशांश के बीच स्थित है:—

अनुसूची

जिला—भोपाल, तहसील—हुजूर, वनमण्डल—भोपाल, वनपरिक्षेत्र—समर्धा

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	मेंडोरा 1	मेंडोरा	छोटे बड़े झाड़ का जंगल (राजस्व भूमि)	58/1, 58/2	3.324	**उत्तर** —संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 02 तक की कृत्रिम वन सीमा.
				59	0.390	**पूर्व**—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 02 से 10 तक की कृत्रिम वन सीमा.
				60	0.180	**दक्षिण**—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 10 से 12 तक की कृत्रिम वन सीमा.
				61	0.160	**पश्चिम**—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 12 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा.
				62	4.085	
				योग . .	8.139	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार: —

अ. माननीय एनजीटी के पत्र क्रमांक आई.ए.एन.-104/19 (cz)-106/2019 (cz), दिनांक 6 फरवरी 2020 के पालन में परिक्षेत्र समर्धा के अंतर्गत लोक संरक्षण क्षेत्र योजना के तहत राजस्व-1 हाईटेक प्लांटेशन प्राप्त क्षेत्र को वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं नामांतरित किये जाने के कारण.

ब. अन्य कारणों का विवरण:—कलेक्टर, भोपाल के आदेश क्रमांक ए-57/2000-2001, दिनांक 10 फरवरी 2003 द्वारा वृहद उच्च तकनीकी वृक्षारोपण हेतु कुल 357.780 हेक्टेयर राजस्व वनभूमि (छोटे बड़े झाड़ जंगल मद) वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं नामांतरित किये जाने के कारण.

स. अनुसूची में दर्शित उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, तहसीलदार, तहसील हुजूर, जिला भोपाल के प्रतिवेदन क्रमांक 74, दिनांक 18 मार्च 2021 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:—

1. **व्यक्तिगत अधिकार.**—उपरोक्त अनुसूची में दर्शित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है.
2. **सामुदायिक अधिकार.**—उपरोक्त अनुसूची में दर्शित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है.

अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 6 जुलाई 2021

क्र. एफ-25-59-2021-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-59-2021-दस-3, दिनांक 6 जुलाई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal, the 6th July 2021

No. F-25-59-2021-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the areas, specified in the schedule below. This Forest Block lies between N 23°10'48.739" to N 23°10'36.185" North Latitude and E 77°21'33.373" to E 77°21'50.367" East Longitude :—

SCHEDULE

District—Bhopal, Tehsil—Huzur, Forest Division—Bhopal, Forest Range—Samrdha

S. No.	Details of land included					Forest Block Boundaries
	Name of Forest Block	Name of Village	Head of Land	Khasara No.	Area (Hectare)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mendora I	Mendora	Chote Bade jhad ka jangle (Revenue Land)	58/1, 58/2	3.324	**North**—Protected Forest Block Artificial Forest boundary from Pillar No. 01 to 02.
				59	0.390	**East**—Protected Forest Block Artificial Forest boundary from Pillar No. 02 to 10.
				60	0.180	**South**—Protected Forest Block Artificial Forest boundary from Pillar No. 10 to 12.
				61	0.160	**West**—Protected Forest Block Artificial Forest boundary from Pillar No. 12 to 01.
				62	4.085	
				Total . .	8.139	

(A) Reason for Publication of Notification : —

a. As per the letter of National Green Tribunal No. IAN-104/19 (CZ) & 106/2019/(CZ), dated 6th Febraury 2020, the area handed over & transferred to Forest Department, Forest Range Samardha Forest Division Bhopal under Peoples Protected Area Scheme for High-Tech Plantation.

b. Details of other Reasons.—Collector, Bhopal by Order No. A-57/2000-2001, datded 10th Febraury 2003 has transfered 357.780 hectares of revenue forest land (Chhote Bade Jhar Ka Jangle) to forest department for High-tech plantaion.

c. The Khasra wise details of recorded rights on the above land mentioned in schedule as per report No. 74, dated 18th March 2021 of Tehsildar, Tehsil, Huzur, District, Bhopal are as under:—

1. **Individuals Rights** —There are no individuals Rights on the land mentioned in schedule.
2. **Communities Rights**—There are no Communities Rights on the land mentioned in schedule.

Therefore the land mentioned in schedule is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Ex-officio Secy.

भोपाल, दिनांक 6 जुलाई 2021

क्र. एफ-25-60-2021-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है. यह वनखण्ड N 23°11'20.517" से N 23°10'2.701" उत्तर अक्षांश तथा E 77° 22'46.797" से E 77°21'49.769" पूर्व देशांश के बीच स्थित है:—

अनुसूची

जिला—भोपाल, तहसील—हुजूर, वनमण्डल—भोपाल, वनपरिक्षेत्र—समर्धा

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	मेंडोरा II	मेंडोरी	छोटे बड़े झाड़ का जंगल (राजस्व भूमि)	528 504	42.850 2.990	**उत्तर** —संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 47 से 49 तक एवं 14 से 16 तक की कृत्रिम वन सीमा. **पूर्व**—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 16 से 28 तक की कृत्रिम वन सीमा. **दक्षिण**—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 28 से 31 तक की कृत्रिम वन सीमा. **पश्चिम**—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 31 से 41 एवं 41 से 47 तक की कृत्रिम वन सीमा.
				योग . .	45.840	
		मेंडोरा	छोटे बड़े झाड़ का जंगल (राजस्व भूमि)	197 199 200	36.940 9.600 19.120	
				योग . .	65.660	
				कुल योग . .	111.500	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार: —

अ. माननीय एनजीटी के पत्र क्रमांक आई.ए.एन.-104/19 (cz)-106/2019 (cz), दिनांक 6 फरवरी 2020 के पालन में परिक्षेत्र समर्धा के अंतर्गत लोक संरक्षण क्षेत्र योजना के तहत राजस्व-1 हाईटेक प्लांटेशन प्राप्त क्षेत्र को वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं नामांतरित किये जाने के कारण.

ब. अन्य कारणों का विवरण:—कलेक्टर, भोपाल के आदेश क्रमांक ए-57/2000-2001, दिनांक 10 फरवरी 2003 द्वारा वृहद उच्च तकनीकी वृक्षारोपण हेतु कुल 357.780 हेक्टेयर राजस्व वनभूमि (छोटे बड़े झाड़ जंगल मद) वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं नामांतरित किये जाने के कारण.

स. अनुसूची में दर्शित उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, तहसीलदार, तहसील हुजूर, जिला भोपाल के प्रतिवेदन क्रमांक 74, दिनांक 18 मार्च 2021 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:—

1. **व्यक्तिगत अधिकार.**—अनुसूची में दर्शित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है.

2. **सामुदायिक अधिकार.**—अनुसूची में दर्शित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है.

अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 6 जुलाई 2021

क्र. एफ-25-60-2021-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-60-2021-दस-3, दिनांक 6 जुलाई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal, the 6th July 2021

No. F-25-60-2021-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the areas, specified in the schedule below. This Forest Block lies in between N 23°11'20.517" to N 23°10'2.701" North Latitude and E 77°22'46.797" to E 77°21'49.769" East Longitude :—

SCHEDULE

District—Bhopal, Tehsil—Huzur, Forest Division—Bhopal, Forest Range—Samrdha

S. No.	Details of land included					Forest Block Boundaries
	Name of the Forest Block	Name of Village	Head of Land	Khasara No.	Area (Hectare)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mendora II	Mendori	Chote Bade Jhad ka Jangle (Revenue Land)	528 504	42.850 2.990	**North**—Protected Forest Block Artificial Forest boundary from Pillar No. 47 to 49 and 14 to 16. **East**—Protected Forest Block Artificial Forest boundary from Pillar No. 16 to 28. **South**—Protected Forest Block Artificial Forest boundary from Pillar No. 28 to 31. **West**—Proposed Protected Forest Block Artificial Forest boundary from Pillar No. 31 to 41 and 41 to 47.
				Total . .	45.840	
		Mendora	Chote Bade Jhad ka Jangle (Revenue Land)	197 199 200	36.940 9.600 19.120	
				Total . .	65.660	
				Total . .	111.500	

(A) **Reason for Publication of Notification : —**

a. As per the letter of National Green Tribunal No. IAN-104/19 (CZ) & 106/2019/(CZ), dated 6th February 2020, the area handed over & transferred to Forest Department, Forest Range Samardha Forest Division Bhopal under Peoples Protected Area Scheme for High-Tech Plantation.

b. Details of other Reasons.—Collector, Bhopal by Order No. A-57/2000-2001, dated 10th February 2003 transfered 357.780 hectares of revenue forrest land (Chhote Bade Jhar Ka Jangle) to forest department for High-tech plantaion.

c. The Khasra wise details of recorded rights on the above land mentioned in schedule as per report No. 74, dated 18th March 2021 of Tehsildar, Tehsil, Huzur, District, Bhopal are as under:—

1. **Individuals Rights** —There are no individuals Rights on the land mentioned in schedule.
2. **Communities Rights**—There are no Communities Rights on the land mentioned in schedule.

Therefore the land mentioned in schedule is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Ex-officio Secy.

भोपाल, दिनांक 8 जुलाई 2021

क्र. एफ-25-71-2019-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है. यह वनखण्ड N 22⁰37'30.316" से N 22⁰37'51.237" उत्तर अक्षांश तथा E 74⁰41'54.744" से E 74⁰2'10.412" पूर्व देशांश के बीच स्थित है:—

अनुसूची

जिला—झाबुआ, तहसील—रामा, वनमण्डल—झाबुआ, वनपरिक्षेत्र—झाबुआ

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का मद	खसरा क्र.	रकबा (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	झुमका	झुमका	ना काबिल काश्त	715,720	20.827	**उत्तर**—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से 6 तक की कृत्रिम वन सीमा. **पूर्व**—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 6 से 13 तक की कृत्रिम वन सीमा. **दक्षिण**—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 13 से 15 तक की कृत्रिम वन सीमा. **पश्चिम**—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 15 से 1 तक की कृत्रिम वन सीमा.
				योग . .	20.827	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार: —

1. पर्यावरण, एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक No. 6-MPCO52/2011-BHO/1075, दिनांक 25 अगस्त 2015 में अधिरोपित शर्त के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 59 इन्दौर-अहमदाबाद में प्रभावित 20.827 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त 20.827 हेक्टेयर गैर वन भूमि से उपरोक्त वर्णित भूमि 20.827 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर, झाबुआ के आदेश क्रमांक 46/अ-19(3)/2014-15/1340, दिनांक 2 फरवरी 2015 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.
2. अन्य कारणों का विवरण:—निरंक

(ख) उपरोक्त अनुसूची में दर्शित भूमि पर तहसीलदार, रामा के प्रतिवेदन पत्र अनुसार अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:—

1. **व्यक्तिगत अधिकार.**—निरंक
2. **सामुदायिक अधिकार.**—निरंक

अत: अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 8 जुलाई 2021

क्र. एफ-25-71-2019-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-71-2019-दस-3, दिनांक 8 जुलाई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal, the 8th July 2021

No. F-25-71-2019-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the areas, specified in the schedule below. This Forest Block lies between N 22⁰37'30.316" to N 22⁰37'51.237" North Latitude and E 74⁰41'54.744" to E 74⁰42"10.412" East Longitude :—

SCHEDULE

District—Jhabua, Tehsil—Rama, Forest Division—Jhabua, Forest Range—Jhabua

S. No.	Details of land included					Forest Block Boundaries
	Name of the Forest Block	Name of Village	Head of Land	Khasara No.	Area (Hectare)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jhumka	Jhumka	N.A. kabil kasht	715, 720	20.827	**North**—Artificial Forest boundary from Pillar No. 1 to 6 of Protected Forest Block. **East**—Artificial Forest boundary from Pillar Number 06 to 13 of Protected Forest Block. **South**—Artificial Forest boundary from Pillar No. 13 to 15 of Protected Forest Block. **West**—Artificial Forest boundary from Pillar No. 15 to 1 of Protected Forest Block.
				Total . .	20.827	

(A) Reason for Publication of Notification : —

(1) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and forest Government of India's letter No. 6-MPC052/2011-BHO/1075 dated 25th August 2015 and in lieu of 20.827 hectare of total affected forest land under the sanctioned project of Indian National Highway No. 59 Indore-Ahmedabad the above mentioned Non Forest land of 20.827 hectare in schedule transferred or muted in favour of Madhya Pradesh Govt., Forest Department by Order No. 46/A-19(3)/2014-15, dated 2nd February 2015 of Collector Jhabua for the purpose of compensatory afforestation.

(2) Details of other Reasons.—Nil.

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land mentioned in schedule as per No. & Dated & of Tahsildar Rama are as under:—

1. **Individual's Rights** —There are no individual's Rights on the land mentioned in schedule.

2. **Communitiy's Rights**—There are no Community's Rights on the land mentioned in schedule.

Therefore the land mentioned in schedule is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Ex-officio Secy.

भोपाल, दिनांक 6 जुलाई 2021

क्र. एफ-25-84-2019-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है. यह वनखण्ड उत्तर अक्षांश N22°20'38.041" से N22°20'51.285" से E79°1'50.943" से E79°2'4.105" पूर्व देशांश के बीच स्थित है:—

अनुसूची

जिला—छिन्दवाड़ा, तहसील—अमरवाड़ा, वनमण्डल—पूर्व छिंदवाड़ा वनमंडल (क्षेत्रीय), वनपरिक्षेत्र—छिंदी

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सोनपुर (ब)	सोनपुर	शासकीय भूमि	505	0.709	**उत्तर** —संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 06 तक की कृत्रिम वन सीमा.
				508/1	3.654	**पूर्व**—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 06 से 13 तक की कृत्रिम वन सीमा.
				510	2.367	**दक्षिण**—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 13 से 21 तक की कृत्रिम वन सीमा.
						पश्चिम—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 21 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा.
				योग . .	6.730	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार: —

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 8-13/2011-FC दिनांक 19 मई 2011 में अधिरोपित शर्त के अनुसार मैसर्स एस. जे. के. पावरजेन लिमिटेड शहडोल जिले में 2×660 मेगावाट थर्मल परियोजना में दक्षिण वनमंडल शहडोल की प्रभावित 66.294 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में पूर्व छिन्दवाड़ा वनमंडल में प्राप्त कुल 67.684 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 6.730 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में उप पंजीयक छिन्दवाड़ा के आदेश क्रमांक 4/30, दिनांक 29 मार्च 2010 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.

2. अन्य कारणों का विवरण:—निरंक

(ख) उपरोक्त अनुसूची में दर्शित भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार अमरवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के प्रमाण-पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:—

1. **व्यक्तिगत अधिकार**—अनुसूची में दर्शित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है.
2. **सामुदायिक अधिकार**—अनुसूची में दर्शित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है.

अत: अनुसूची में दर्शित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 6 जुलाई 2021

क्र. एफ-25-84-2019-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-84-2019-दस-3, दिनांक 6 जुलाई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal, the 6th July 2021

No. F-25-84-2019-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the areas, specified in the schedule below. This Forest Block lies between North latitude N22°20'38.041" to N22°20'51.285" & E79°1'50.943" to E 79°2'4.105" East Longitude :—

SCHEDULE

District—Chhindwara, Tehsil—Amarwara, Forest Division—East Chhindwara Division (T) Forest Range—Chhindi

S. No.	Details of land included					Forest Block Boundaries
	Name of Forest Block	Name of Village	Head of Land	Khasra No.	Area (Hectare)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sonpur 'B'	Sonpur	Govt. Land	505 508/1 510	0.709 3.654 2.367	**North**—Artificial Forest boundary from Pillar No. 01 to 06 of Protected Forest Block. **East**—Artificial Forest boundary from Pillar Number 06 to 13 of Protected Forest Block. **South**—Artificial Forest boundary from Pillar No. 13 to 21 of Protected Forest Block. **West**—Artificial Forest boundary from Pillar No. 21 to 01 of Protected Forest Block.
				Total . .	6.730	

(A) Reason for Publication of Notification : —

(1) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Government of India's letter No. 8-13/2011-FC, dated 19th May 2011 and in lieu of 66.294 hectare of affected forest land in South Division Shahdol under the sanctioned project of 2x660 Thermal Power Plant S. J. K. Power Gen Limited the above mentioned Non Forest Land of 6.730 hectares out of 67.684 hectares received transferred or muted in favour of Madhya Pradesh Govt., Forest Department by order No. 7/30, dated 29th March 2010 of Sub Registrar Chhindwara for the purpose of compensatory afforestation.

(2) Details of other Reasons—Nil.

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land mention in schedule as per report (Certificated) of Tahsildar-Amarwara District Chhindwara are as under:—

1. **Individual's Rights** —There are no individual's Rights on the land mentioned in schedule.

2. **Community's Rights**—There are no Community's Rights on the land mentioned in schedule.

Therefore the land mentioned in schedule is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Ex-officio Secy.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 जुलाई 2021

क्र. एफ-3-67-2021-अठारह-5.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17-क(1) के अन्तर्गत सागर विकास योजना हेतु मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्रमांक एफ-3-41-2014-बत्तीस, भोपाल दिनांक 16 जून 2014 को निरस्त करते हुए सागर विकास योजना पुनर्विलोकन एवं संशोधन हेतु निम्नानुसार समिति का पुनर्गठन किया जाता है. यह समिति, अधिनियम की धारा 17-क(2) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी :—

अधिनियम की धारा 17 (क)(1) की उपधारा	पदनाम	संस्था/पता	समिति में पद
(1)	(2)	(3)	(4)
(क)	1. महापौर	नगर पालिक निगम, सागर	सदस्य
	2. अध्यक्ष	नगर पालिका परिषद् मकरोनिया बुजुर्ग, सागर	सदस्य
(ख)	अध्यक्ष	जिला पंचायत, सागर	सदस्य
(ग)	संसद सदस्य	लोकसभा क्षेत्र, सागर	सदस्य
(घ)	1. विधायक	विधान सभा क्षेत्र, सागर	सदस्य
	2. विधायक	विधान सभा क्षेत्र, नरयावली	सदस्य
(ङ)	अध्यक्ष	नगर विकास प्राधिकरण/साडा	कोई नहीं
(च)	अध्यक्ष	जनपद पंचायत, सागर	सदस्य
(छ)	1. सरपंच	ग्राम पंचायत, रातौना	सदस्य
	2. सरपंच	ग्राम पंचायत, बम्होरी रेंगुवा	सदस्य
	3. सरपंच	ग्राम पंचायत, बेरखेड़ी सुवंश	सदस्य
	4. सरपंच	ग्राम पंचायत, पथरिया हाट	सदस्य
	5. सरपंच	ग्राम पंचायत, बिहारीपुरा	सदस्य
	6. सरपंच	ग्राम पंचायत, पगारा	सदस्य
	7. सरपंच	ग्राम पंचायत, कुड़ारी	सदस्य
	8. सरपंच	ग्राम पंचायत, कपूरिया	सदस्य
	9. सरपंच	ग्राम पंचायत, बरारू	सदस्य
	10. सरपंच	ग्राम पंचायत, पटकुई	सदस्य
	11. सरपंच	ग्राम पंचायत, बहेरिया गदगद	सदस्य
	12. सरपंच	ग्राम पंचायत, बधोना	सदस्य
	13. सरपंच	ग्राम पंचायत, रूसल्ला	सदस्य
	14. सरपंच	ग्राम पंचायत, सिदगुवां	सदस्य
	15. सरपंच	ग्राम पंचायत, केरबना	सदस्य
	16. सरपंच	ग्राम पंचायत, बाछलोन	सदस्य
	17. सरपंच	ग्राम पंचायत, रिछोड़ा	सदस्य
	18. सरपंच	ग्राम पंचायत, गुड़ा	सदस्य
	19. सरपंच	ग्राम पंचायत, भैंसा	सदस्य
	20. सरपंच	ग्राम पंचायत, आमेट	सदस्य
	21. सरपंच	ग्राम पंचायत, रजौआ	सदस्य
	22. सरपंच	ग्राम पंचायत, पथरिया जाट	सदस्य
	23. सरपंच	ग्राम पंचायत, सिरोंजा	सदस्य
	24. सरपंच	ग्राम पंचायत, लिधौरा हाट	सदस्य
	25. सरपंच	ग्राम पंचायत, बम्होरी बीका	सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)
	26. सरपंच	ग्राम पंचायत, खेजराबाग	सदस्य
	27. सरपंच	ग्राम पंचायत, बम्होरीढूढर	सदस्य
	28. सरपंच	ग्राम पंचायत, मेनपानी	सदस्य
(ज)	1. प्रतिनिधि	कलेक्टर, जिला सागर	सदस्य
	2. प्रतिनिधि	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सागर	सदस्य
	3. प्रतिनिधि	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, सागर	सदस्य
	4. प्रतिनिधि	वन मण्डल अधिकारी दक्षिण, सागर	सदस्य
	5. प्रतिनिधि	इंस्टिट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया	सदस्य
	6. प्रतिनिधि	इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया	सदस्य
	7. प्रतिनिधि	कौंसिल ऑफ आर्किटेक्चर	सदस्य
(झ)	समिति का संयोजक	संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, सागर (म. प्र.)	संयोजक

सूचना

क्र. एफ-3-68-21-अठारह-5.—एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा (3) के अधीन आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा प्रस्तुत गुना निवेश क्षेत्र के लिये प्रारूप विकास योजना 2035 में राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार उपांतरण करने का निर्णय लिया गया है. अतः, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये, प्रस्तावित उपांतरण का विवरण सूचना के माध्यम से सूचना के माध्यम से प्रकाशित किया जा रहा है. उपांतरणों का विस्तृत विवरण www.mptownplan.gov.in पर उपलब्ध है तथा उनका निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयीन समय में अवकाश के दिन छोड़कर सूचना प्रकाशन के दिनांक से 30 दिवस तक की कालावधि में निरीक्षण किया जा सकेगा :—

1. अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, द्वितीय तल, एनेक्सी-2, मंत्रालय, भोपाल
2. आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर
3. कलेक्टर, जिला गुना
4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद् गुना
5. उप-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, पुराना कलेक्ट्रेट, गुना

उपांतरण का विवरण

विकास योजना मानचित्र में राष्ट्रीय राजमार्ग बायपास के पश्चिम में हनुमान टेकरी मार्ग के दोनों और ग्राम गुना कस्बा एवं चक गुना के हरित क्षेत्र को आवासीय किया जाना प्रस्तावित है.

उक्त उपांतरण के संबंध में यदि कोई आपत्ति/सुझाव हो तो उसे अवर सचिव मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास मंत्रालय भोपाल के कार्यालय में लिखित रूप से सूचना प्रकाशन के दिनांक से 30 दिवस की कालावधि में प्रस्तुत किये जा सकते हैं. समयावधि में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया जा सकेगा.

सूचना

क्र. एफ-3-74-2011-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1, सन् 2012), की धारा 23"क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल की सूचना क्रमांक-1507-टीसी-65-उपा-नग्रानि-जबलपुर-2018-21, दिनांक 8 मार्च 2021 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार

प्रवर्तित जबलपुर विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार है :—

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	नजूल शीट क्रमांक	प्लाट क्रमांक	क्षेत्रफल (हे. में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपान्तरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	छोटी	08	10/2 में से	0.1742	आवासीय एवं मार्ग	वाणिज्यिक एवं मार्ग
	ओमती		11	0.0951	आवासीय एवं मार्ग	वाणिज्यिक एवं मार्ग
			12	0.2006	आवासीय एवं मार्ग	वाणिज्यिक एवं मार्ग
			योग :	0.4699		

1. उक्त उपांतरण की सूचना के राजपत्र में प्रकाशन के पश्चात् मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 06 जून 2014 में शासन की सूचना क्र. एफ-3-74-2011-बत्तीस, भोपाल दिनांक 28 मई 2014 , निरस्त मान्य होगी.

2. उपरोक्त उपांतरण जबलपुर विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश
विन्ध्याचल भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 जुलाई 2021

परीक्षा परिणाम

क्र. स्था. -1-2021-1316.—सहकारिता विभाग के सहायक आयुक्त-सह-सहायक, पंजीयक, सहकारी संस्थायें, के लिए दिनांक 6 अप्रैल 2021 को आयोजित विभागीय परीक्षा प्रश्न-पत्र क्रमांक-4, सहकारी लेखा अंकेक्षण में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

क्र.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
1	श्री रविशंकर द्विवेदी	सहायक आयुक्त, सहकारिता
2	सुश्री दीपाली खण्डेलवाल	सहायक आयुक्त, सहकारिता
3	श्री राजू डावर	सहायक आयुक्त, सहकारिता
4	श्री बासुदेव सिंह भदौरिया	सहायक आयुक्त, सहकारिता
5	श्री राजयश वर्धन कुरील	सहायक आयुक्त, सहकारिता
6	श्री अभय सिंह	सहायक आयुक्त, सहकारिता
7	श्रीमती वैशाली जैन	सहायक आयुक्त, सहकारिता
8	सुश्री अंजुली धुर्वे	सहायक आयुक्त, सहकारिता
9	श्री अरूण कुमार मसराम	सहायक आयुक्त, सहकारिता

परीक्षा परिणाम

क्र. स्था. -1-2021-1317.—सहकारिता विभाग के सहायक आयुक्त-सह-सहायक, पंजीयक, सहकारी संस्थायें, के लिए दिनांक 5 अप्रैल 2021 को आयोजित विभागीय परीक्षा प्रश्न-पत्र क्रमांक-1, सहकारिता सामान्य में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

क्र.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
1	श्री राजयश वर्धन कुरील	सहायक आयुक्त, सहकारिता
2	श्री राजेन्द्र सिंह कनेश	सहायक आयुक्त, सहकारिता
3	श्री राजेश उईके	सहायक आयुक्त, सहकारिता

परीक्षा परिणाम

क्र. स्था. -1-2021-1318.—सहकारिता विभाग के सहायक आयुक्त-सह-सहायक, पंजीयक, सहकारी संस्थायें, के लिए दिनांक 5 अप्रैल 2021 को आयोजित विभागीय परीक्षा प्रश्न-पत्र क्रमांक-3, सहकारी बैंकिंग प्रणाली में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

क्र.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
1	श्री राजयश वर्धन कुरील	सहायक आयुक्त, सहकारिता

नरेश पाल कुमार, आयुक्त.

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2021

क्र. 608-856-2021-तीस.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग के अंतर्गत राज्य संरक्षित स्मारकों पर फिल्मांकन की दरों को निम्नानुसार पुनरीक्षित किया जाता है:—

स. क्र.	विवरण	वर्तमान दर (रुपये)	नवीन पुनरीक्षित दर प्रतिदिन (रुपये)	प्रतिभूति राशि वर्तमान (रुपये)	प्रतिभूति पुनरीक्षित (रुपये)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	फिल्मांकन	50,000	75,000	1,00,000	1,50,000
2	वृत्तचित्र, टेली फिल्म	20,000	25,000	50,000	1,00,000
3	वेडिंग शूट	-	5,000	-	5,000
4	ड्रोन फोटोग्राफी/ वीडियोग्राफी	-	10,000	-	20,000

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनील दुबे, उपसचिव.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, जिला–खण्डवा मध्यप्रदेश

प.क्र. 1296–रीडर–1–2021–राजस्व प्रकरण क्र.–0797–बी–121–2020–21 खण्डवा, दिनांक 7 अप्रैल 2021

प्ररुप– "घ"
{ नियम– 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक– 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की **अधिसूचना पत्र कमांक– क्रमांक– 2854/रीडर–1/2020, खण्डवा, दिनांक 21/10/2020** द्वारा, राज्य सरकार ने जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक– 01 ग्राम– सुडवाडिया, प.ह.न 44, तहसील– हरसूद, जिला– खण्डवा से टेल (ग्राम– सिवना, प.ह.न 66, तहसील एवं जिला– खण्डवा) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर **में जल परिवहन हेतु ग्राम– बलदुआ डोंगरी, प.ह.न 62, तहसील एवं जिला– खण्डवा** में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में **दिनांक 06.11.2020** को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा– 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम– बलदुआ डोंगरी, प.ह.न 62	39/1	0.013
			38	0.035
			34/1	0.171
			79/2	0.008
			79/3	0.022

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम– बलदुआ डोंगरी, प.ह.न 62	79/4	0.031
			79/5	0.012
			83/1	0.031
			83/2	0.025
			83/3	0.034
			84	0.043
			99	0.043
			100	0.044
			101	0.029
			106	0.013
			110/2	0.032
			112/1	0.025
			108/1	0.034
			112/4	0.009
			112/2	0.028
			140	0.046
			132	0.061
			131	0.010
		कुल योग	**23**	**0.799**

प.क्र. 1298—रीडर—1—2021—राजस्व प्रकरण क्र.—0793—बी—121—2020—21

प्ररुप— "घ"
{ नियम— 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक— 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की **अधिसूचना पत्र कमांक— क्रमांक— 2858/रीडर—1/2020, खण्डवा, दिनांक 21/10/2020** द्वारा, राज्य सरकार ने जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक— 01 ग्राम— सुडवाडिया, प.ह.न 44, तहसील— हरसूद, जिला— खण्डवा से टेल (ग्राम— सिवना, प.ह.न 66, तहसील एवं जिला— खण्डवा) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर **में जल परिवहन हेतु ग्राम— सुरगांव बंजारी, प.ह.न 61, तहसील एवं जिला— खण्डवा** में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में **दिनांक 06.11.2020** को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा— 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम— सुरगांव बंजारी, प.ह.न 61	503	0.020
			511	0.014
			510/5	0.031
			509	0.039
			686/3	0.088

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम– सुरगांव बंजारी, प.ह.न 61	686/2	0.006
			677/4	0.030
			677/3	0.025
			677/2	0.025
			677/1	0.010
			679	0.024
			678	0.145
			713	0.028
			712	0.033
			711/2	0.040
			717/1	0.068
			718	0.059
			742	0.058
			737/2	0.032
			736/4	0.031
			736/3	0.042
			736/1	0.006
			729/2	0.067
			728	0.039
			729/1	0.037
			730/1	0.029
			614/4	0.040
			730/2	0.045
			614/2	0.030
			614/3/1	0.016
			606/3	0.030
			606/1	0.067
		कुल योग	32	1.254

प.क्र. 1300—रीडर—1—2021—राजस्व प्रकरण क्र.—0806—बी—121—2020—21

प्ररुप— "घ"
{ नियम— 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक— 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की **अधिसूचना पत्र कमांक— क्रमांक— 2884/रीडर—1/2020, खण्डवा, दिनांक 21/10/2020** द्वारा, राज्य सरकार ने जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम— जावर, प.ह.नं.— 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक— 02 से ग्राम— गोकुलगांव, प.ह.न 71, तहसील एवं जिला— खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर कमांक— 2 (B) से निकलने वाली ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक— 41, 64 एवं 70 **में जल परिवहन हेतु ग्राम— खेड़ीकित्ता, प.ह.न 52, तहसील एवं जिला— खण्डवा** में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में **दिनांक 06.11.2020** को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा— 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम— खेड़ीकित्ता, प.ह.न 52,	451	0.029
			452	0.016
			450	0.084
			448	0.056
			446	0.024

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम– खेड़ीकित्ता, प.ह.न 52,	444	0.012
			445	0.022
			411/1	0.043
			404	0.018
			201	0.047
			200/3	0.064
			199/5	0.088
			199/4	0.086
			199/7	0.010
			199/6	0.018
			199/3	0.012
			193/1	0.039
			193/2	0.030
			193/3	0.014
			185/1	0.008
			183/2	0.060
			155/2	0.056
			154/2	0.074
			151	0.015
			158/1/1/1	0.041
			158/2	0.025
			131/2	0.045
			132	0.011
			133	0.047
			135	0.012
			136/3	0.031
			136/2	0.019
			136/1/1	0.011
			121/1	0.061

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम– खेड़ीकित्ता, प.ह.न 52,	256/1/1	0.017
			255/3	0.012
			255/2	0.020
			255/1	0.021
			254	0.050
			248/1	0.055
			248/2/2	0.051
			237	0.044
			64/1	0.091
			64/2	0.031
			63/1	0.050
			71/1	0.081
			57/1/1	0.028
			55/1/1	0.084
			50	0.028
		कुल योग	49	1.891

प.क्र. 1302—रीडर—1—2021—राजस्व प्रकरण क्र.—0791—बी—121—2020—21

प्ररुप— "घ"
{ नियम— 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक— 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की **अधिसूचना पत्र कमांक— क्रमांक— 2870/रीडर—1/2020, खण्डवा, दिनांक 21/10/2020** द्वारा, राज्य सरकार ने जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम— जावर, प.ह.नं.— 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक— 02 से ग्राम— गोकुलगांव, प.ह.न 71, तहसील एवं जिला— खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर कमांक— 2 (B) **में जल परिवहन हेतु ग्राम— गोकुलगांव, प.ह.न 71, तहसील एवं जिला— खण्डवा** में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में **दिनांक 06.11.2020** को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा— 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम— गोकुलगांव, प.ह.न 71	7/1	0.005
			23	0.032
			24/1	0.042
			25/1	0.020
			25/2	0.018
			26	0.013
		कुल योग	**6**	**0.130**

प.क्र. 1304–रीडर–1–2021–राजस्व प्रकरण क्र.–0799–बी–121–2020–21

प्ररुप– "घ"
{ नियम– 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक– 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की **अधिसूचना पत्र कमांक– क्रमांक– 2868/रीडर–1/2020, खण्डवा, दिनांक 21/10/2020** द्वारा, राज्य सरकार ने जावर माईक्रो उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम– जावर, प.ह.नं.– 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक– 02 से ग्राम– जामली मुन्दी, प.ह.न 49, तहसील एवं जिला– खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर कमांक– 2 (A) **में जल परिवहन हेतु ग्राम– जामली मुन्दी, प.ह.न 49, तहसील एवं जिला– खण्डवा** में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में **दिनांक 06.11.2020** को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा– 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम– जामली मुन्दी, प.ह.न 49	305/1	0.036
			293/1	0.040
			305/3	0.041
			294/1	0.023
			289/2	0.010

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	**खण्डवा**	**ग्राम– जामली मुन्दी, प.ह.न 49**	**288/1**	0.063
			294/5	0.039
			294/4	0.062
			294/6	0.086
			294/3	0.068
			289/1	0.060
			293/2	0.045
			289/4	0.019
			293/3	0.051
			289/5	0.019
			293/4	0.041
			294/2	0.011
			295/18	0.021
			290	0.024
			285	0.054
			281/3	0.016
			287/5	0.059
			286	0.052
			245	0.127
			10/2	0.038
		कुल योग	**25**	**1.105**

प.क्र. 1306—रीडर—1—2021—राजस्व प्रकरण क्र.—0794—बी—121—2020—21

प्ररुप— "घ"
{ नियम— 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक— 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की **अधिसूचना पत्र कमांक— क्रमांक— 2878/रीडर—1/2020, खण्डवा, दिनांक 21/10/2020** द्वारा, राज्य सरकार ने जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत इंदिरासागर रिजरवायर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक—01 ग्राम— सुडवाडिया, प.ह.न 44, तहसील— हरसूद, जिला— खण्डवा से ग्राम— जावर, प.ह.न 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक— 02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर **में जल परिवहन हेतु ग्राम— सुरगांव बंजारी, प.ह.न 61, तहसील एवं जिला— खण्डवा** में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में **दिनांक 06.11.2020** को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा— 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम— सुरगांव बंजारी, प.ह.न 61	112/4	0.040
			117/2	0.024
			117/3	0.032
			117/6	0.017
			117/4	0.043

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम– सुरगांव बंजारी, प.ह.न 61	117/5	0.082
			120	0.086
			125	0.072
			127/1	0.026
			127/2	0.022
			127/3	0.025
			148	0.030
			152	0.056
			156	0.024
			488/1	0.015
			498	0.002
			499	0.082
			502	0.059
			503	0.044
			511	0.134
			515	0.022
			516	0.070
			519	0.157
			520/1	0.009
			528/2	0.026
			538/1	0.039
		कुल योग	**26**	**1.238**

प.क्र. 1308—रीडर—1—2021—राजस्व प्रकरण क्र.—0802—बी—121—2020—21

प्ररुप— "घ"
{ नियम— 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक— 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की **अधिसूचना पत्र कमांक— क्रमांक— 2888/रीडर—1/2020, खण्डवा, दिनांक 21/10/2020** द्वारा, राज्य सरकार ने जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम— जावर, प.ह.नं.— 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक— 02 से ग्राम— कोटवाड़ा, प.ह.न 59, तहसील एवं जिला— खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर कमांक— 2 (C) की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक—16 **में जल परिवहन हेतु ग्राम— पिपलकोटा, प.ह.न 47, तहसील एवं जिला— खण्डवा** में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में **दिनांक 06.11.2020** को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा— 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	**खण्डवा**	ग्राम— पिपलकोटा, प.ह.न 47	362/1	0.018
		कुल योग	**01**	**0.018**

प.क्र. 1310—रीडर—1—2021—राजस्व प्रकरण क्र.—0801—बी—121—2020—21

प्ररुप— "घ"
{ नियम— 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक— 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की **अधिसूचना पत्र कमांक— क्रमांक— 2886/रीडर—1/2020, खण्डवा, दिनांक 21/10/2020** द्वारा, राज्य सरकार ने जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम— जावर, प.ह.नं.— 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक— 02 से ग्राम— गोकुलगांव, प.ह.न 71, तहसील एवं जिला— खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर कमांक— 2 (B) से निकलने वाली ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक—05, 41 व 58 **में जल परिवहन हेतु ग्राम— पिपल्याफुल, प.ह.न 51, तहसील एवं जिला— खण्डवा** में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में **दिनांक 06.11.2020** को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा— 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम— पिपल्याफुल, प.ह.न 51	108	0.032
			109	0.043
			103	0.007
			101	0.041
			100	0.007

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम– पिपल्याफुल, प.ह.न 51	114/1	0.020
			114/2	0.025
			114/3	0.035
			98/3	0.022
			115	0.009
			97	0.076
			96	0.020
			95	0.015
			69/3	0.008
			69/4	0.040
			79	0.027
			78	0.052
			77	0.004
			71/1	0.035
			76/2	0.030
			75/2	0.038
			75/1	0.049
			651/1	0.033
			651/4	0.056
			651/2	0.006
			647	0.028
			646	0.019
			644	0.015
			589/2	0.023
			630	0.072
			632	0.075
			627	0.044
			604/3	0.045
			604/2	0.040

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम–पिपल्याफुल, प.ह.न 51	586	0.035
			587	0.036
			585	0.018
			588/2	0.027
			588/1	0.026
			577/3	0.031
			590/3	0.059
			590/4	0.017
			550	0.049
			549	0.056
			548	0.045
			540	0.020
			538	0.012
			539/1	0.009
			529/4	0.022
			536/1	0.004
			533	0.041
			381/1	0.013
			381/2	0.008
			382	0.005
			380	0.023
			379	0.023
			583/3	0.053
			583/5	0.058
			584	0.037
		कुल योग	59	1.818

प.क्र. 1312—रीडर—1—2021—राजस्व प्रकरण क्र.—0790—बी—121—2020—21

प्ररुप— "घ"
{ नियम— 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक— 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की **अधिसूचना पत्र कमांक— क्रमांक— 2864/रीडर—1/2020, खण्डवा, दिनांक 21/10/2020** द्वारा, राज्य सरकार ने जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम— जावर, प.ह.नं.— 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक— 02 से ग्राम— कोटवाड़ा, प.ह.न 59, तहसील एवं जिला— खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर कमांक— 2 (C) **में जल परिवहन हेतु ग्राम— मुन्दवाड़ा, प.ह.न 69, तहसील एवं जिला— खण्डवा** में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में **दिनांक 06.11.2020** को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा— 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम— मुन्दवाड़ा, प.ह.न 69	52/2	0.021
			55/2	0.087
			87 88	0.012
			78	0.045
			80/1	0.003

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम— मुन्दवाड़ा, प.ह.न 69	80/2	0.043
			81	0.030
			83	0.003
			82	0.065
			69/2	0.027
			68	0.030
			128	0.013
			129/1	0.023
			129/2	0.058
			147	0.084
			145/1	0.073
			141	0.083
			142	0.102
			145/2	0.043
			145/3	0.043
			145/4	0.002
			144	0.088
			175	0.017
			176/2	0.035
			176/3	0.007
			146/1	0.020
			146/2	0.115
			146/3	0.083
			166/1	0.095
			166/2	0.087
			166/3	0.116
			186	0.387
			264	0.160
			266	0.185
		कुल योग	**34**	**2.285**

प.क्र. 1330—रीडर—1—2021—राजस्व प्रकरण क्र.—0805—बी—121—2020—21

प्ररुप— "घ"
{ नियम— 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक— 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की **अधिसूचना पत्र कमांक— क्रमांक— 2880/रीडर—1/2020, खण्डवा, दिनांक 21/10/2020** द्वारा, राज्य सरकार ने जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत इंदिरासागर रिजरवायर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक—01 ग्राम— सुडवाडिया, प.ह.न 44, तहसील— हरसूद, जिला— खण्डवा से ग्राम— जावर, प.ह.न 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक— 02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर कमांक—1 एवं पम्प हाऊस कमांक— 02 से ग्राम— जामली मुन्दी, प.ह.न 49, तहसील एवं जिला— खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर कमांक— 2 (A) **में जल परिवहन हेतु ग्राम— गोहलारी, प.ह.न 59, तहसील एवं जिला— खण्डवा** में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में **दिनांक 06.11.2020** को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा— 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	**खण्डवा**	ग्राम— गोहलारी, प.ह.न 59,	13/2	0.014
			29	0.064
			30	0.040
			33/2	0.022
			32/2	0.056

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम– गोहलारी, प.ह.न 59,	28/2	0.040
			27	0.036
			33/1	0.010
			34/1	0.024
			35/2	0.032
			35/4	0.085
			7	0.030
			10/1	0.023
			5	0.062
			4/1	0.040
			3/3	0.010
			3/2	0.035
			17	0.012
		कुल योग	18	0.635

प.क्र. 1326—रीडर—1—2021—राजस्व प्रकरण क्र.—0808—बी—121—2020—21

प्ररुप— "घ"
{ नियम— 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक— 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की **अधिसूचना पत्र कमांक— क्रमांक— 2890/रीडर—1/2020, खण्डवा, दिनांक 21/10/2020** द्वारा, राज्य सरकार ने जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम— जावर, प.ह.नं.— 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक— 02 से ग्राम— जामली मुन्दी, प.ह.न 49, तहसील एवं जिला— खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर कमांक— 2 (A) की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक—10 **में जल परिवहन हेतु ग्राम— सहेजला, प.ह.न 46, तहसील एवं जिला— खण्डवा** में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में **दिनांक 06.11.2020** को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा— 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हिक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम— सहेजला, प.ह.न 46	127/1	0.010
			128/1	0.015
			128/2	0.019
			128/3	0.019
			129/1	0.020

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम– सहेजला, प.ह.न 46	129/2	0.015
			129/3	0.012
			129/4	0.013
			124	0.042
			123/1	0.012
			123/2	0.041
			122/2	0.022
			201/4	0.039
			201/3	0.039
			201/2	0.100
			200	0.023
			199/1	0.089
			198/1	0.025
			666/2	0.025
		कुल योग	19	0.580

प.क्र. 1328–रीडर–1–2021–राजस्व प्रकरण क्र.–0796–बी–121–2020–21

प्ररुप– "घ"
{ नियम– 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक– 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की **अधिसूचना पत्र कमांक– क्रमांक– 2856/रीडर–1/2020, खण्डवा, दिनांक 21/10/2020** द्वारा, राज्य सरकार ने जावर माईक्रो उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक– 01 ग्राम– सुडवाडिया, प.ह.न 44, तहसील– हरसूद, जिला– खण्डवा से टेल (ग्राम– सिवना, प.ह.न 66, तहसील एवं जिला– खण्डवा) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर **में** जल परिवहन हेतु **ग्राम– बेनपुरा कुरवाड़ा, प.ह.न 63, तहसील एवं जिला– खण्डवा** में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में **दिनांक 06.11.2020** को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा– 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम– बेनपुरा कुरवाड़ा, प.ह.न 63,	104	0.022
			105	0.034
			106	0.031
			107	0.015
			113	0.173

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम– बेनपुरा कुरवाड़ा, प.ह.न 63,	144	0.064
			145	0.052
			149	0.056
			150/2	0.029
			150/1	0.025
			152	0.027
			154/4	0.020
			154/3	0.012
			154/1	0.016
			154/2/1	0.008
			154/2/2	0.008
			154/2/3	0.008
			154/2/4	0.008
		कुल योग	**18**	**0.608**

प.क्र. 1314—रीडर—1—2021—राजस्व प्रकरण क्र.—0798—बी—121—2020—21

प्ररुप— "घ"
{ नियम— 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक— 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की **अधिसूचना पत्र कमांक— क्रमांक— 2852/रीडर—1/2020, खण्डवा, दिनांक 21/10/2020** द्वारा, राज्य सरकार ने जावर माईको उद्‌वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक— 01 ग्राम— सुडवाडिया, प.ह.न 44, तहसील— हरसूद, जिला— खण्डवा से टेल (ग्राम— सिवना, प.ह.न 66, तहसील एवं जिला— खण्डवा) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर **में जल परिवहन हेतु ग्राम— माथनी, प.ह.न 62, तहसील एवं जिला— खण्डवा** में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में **दिनांक 06.11.2020** को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा— 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम— माथनी, प.ह.न 62	189	0.035
			190	0.084
			186	0.036
			185	0.030
			196/1	0.020

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम– माथनी, प.ह.न 62	198	0.051
			271/1	0.023
			282/2	0.016
			271/2	0.026
			271/3	0.023
			271/4	0.022
			282/1	0.029
			271/5	0.015
			272	0.083
			280	0.010
			273	0.009
			279	0.070
			264/1	0.164
			248/1	0.071
		कुल योग	**19**	**0.817**

प.क्र. 1316—रीडर—1—2021—राजस्व प्रकरण क्र.—0789—बी—121—2020—21

प्ररुप— "घ"
{ नियम— 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक— 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की **अधिसूचना पत्र कमांक— क्रमांक— 2860/रीडर—1/2020, खण्डवा, दिनांक 21/10/2020** द्वारा, राज्य सरकार ने जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम— जावर, प.ह.नं.— 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक— 02 से ग्राम— कोटवाड़ा, प.ह.न 59, तहसील एवं जिला— खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर कमांक— 2 (C) **में जल परिवहन हेतु ग्राम— बड़िया तुला, प.ह.न 69, तहसील एवं जिला— खण्डवा** में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में **दिनांक 06.11.2020** को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा— 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम— बड़िया तुला, प.ह.न 69	63	0.086
			77	0.054
			78	0.024
			79/3	0.010
			79/4	0.060

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम– बड़िया तुला, प.ह.न 69	80	0.070
			85	0.011
			84	0.058
			195	0.015
			186	0.056
			185	0.005
			184	0.026
			183	0.004
			182	0.005
			181	0.007
			180	0.005
			179	0.006
			178	0.004
			177	0.023
			176/2	0.018
			175	0.023
			173	0.011
			171	0.009
			168	0.006
			169	0.011
			166	0.034
			164/1	0.058
			162	0.019
			160/1	0.011
			160/2	0.011
			160/3	0.011
			157	0.056
		कुल योग	32	0.807

प.क्र. 1318—रीडर—1—2021—राजस्व प्रकरण क्र.—0795—बी—121—2020—21

प्ररुप— "घ"
{ नियम— 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक— 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की **अधिसूचना पत्र क्रमांक— क्रमांक— 2882/रीडर—1/2020, खण्डवा, दिनांक 21/10/2020** द्वारा, राज्य सरकार ने जावर माईक्रो उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम— जावर, प.ह.नं.— 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक— 02 से ग्राम— गोकुलगांव, प.ह.न 71, तहसील एवं जिला— खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक— 2 (B) से निकलने वाली ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक— 05 **में जल परिवहन हेतु ग्राम— ढोरानी, प.ह.नं. 50, तहसील एवं जिला— खण्डवा** में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में **दिनांक 06.11.2020** को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा— 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम— ढोरानी, प.ह.न 50	620	0.010
			619/1	0.075
			614/4	0.076
			614/2	0.070
			614/3	0.076

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम– ढोरानी, प.ह.न 50	438	0.041
			439	0.051
			440/3	0.018
			429/1	0.025
			363/1	0.028
			363/2/1	0.070
			374/2	0.027
			374/3	0.045
			374/5	0.043
			372	0.044
			334	0.009
			382	0.030
			323	0.036
			322	0.011
			324	0.026
			325/2	0.014
			326	0.037
			320	0.021
			302/1	0.055
			302/2	0.028
			303/3	0.032
			301	0.060
		कुल योग	**27**	**1.058**

प.क्र. 1320–रीडर–1–2021–राजस्व प्रकरण क्र.–0804–बी–121–2020–21

प्ररुप– "घ"
{ नियम– 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक– 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की **अधिसूचना पत्र कमांक– क्रमांक– 2862/रीडर–1/2020, खण्डवा, दिनांक 21/10/2020** द्वारा, राज्य सरकार ने जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम– जावर, प.ह.नं.– 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक– 02 से ग्राम– कोटवाड़ा, प.ह.न 59, तहसील एवं जिला– खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर कमांक– 2 (C) **में जल परिवहन हेतु ग्राम– पलकना, प.ह.न 58, तहसील एवं जिला– खण्डवा** में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में **दिनांक 06.11.2020** को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा– 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम– पलकना, प.ह.न 58	97	0.007
			108	0.050
			109	0.031
			110	0.020
			116	0.054

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम– पलकना, प.ह.न 58	117/2	0.020
			128/3	0.016
			128/2	0.022
			128/1	0.017
			117/1	0.011
			127/2	0.008
			124/1	0.015
			124/2	0.004
			124/3	0.020
			123/2	0.017
			123/1	0.019
			122/2	0.026
			121/3	0.023
			121/1	0.041
			120/1	0.071
			162/1	0.079
			174	0.040
			175/1	0.039
			180	0.065
			190/2	0.040
			190/3	0.045
			191/1	0.034
			53	0.006
			51	0.020
			52	0.002
			50	0.036
			195/1	0.005
			195/3/3	0.025
			195/2/2	0.025
			195/2/1	0.025
			196/1	0.032
			~~249~~	~~0.080~~
			201	0.074
			209	0.047
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम– पलकना, प.ह.न 58	211/3	0.003
			212/2	0.037
			212/1	0.033
			219	0.024
			220	0.025
			225/2	0.023
			226	0.038
			227/2	0.041
		कुल योग	47	1.435

प.क्र. 1322—रीडर—1—2021—राजस्व प्रकरण क्र.—0807—बी—121—2020—21

प्ररुप— "घ"
{ नियम— 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक— 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की **अधिसूचना पत्र कमांक— क्रमांक— 2866/रीडर—1/2020, खण्डवा, दिनांक 21/10/2020** द्वारा, राज्य सरकार ने जावर माईक्रो उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम— जावर, प.ह.नं.— 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक— 02 से ग्राम— जामली मुन्दी, प.ह.न 49, तहसील एवं जिला— खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर कमांक— 2 (A) **में जल परिवहन हेतु ग्राम— फतेहपुर मुन्दी, प.ह.न 49, तहसील एवं जिला— खण्डवा** में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में **दिनांक 06.11.2020** को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा— 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम— फतेहपुर मुन्दी, प.ह.न 49	319	0.146
			318/1	0.035
			228	0.025
			316/1	0.040
			315/1	0.021

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम– फतेहपुर मुन्दी, प.ह.न 49	314/1	0.090
			313/1	0.013
			312/4	0.014
			312/3	0.012
			312/1	0.024
			311/5	0.025
			311/4	0.015
			311/1	0.028
			310/4	0.019
			310/1	0.010
			297	0.037
			298/1	0.014
			298/4	0.022
			299	0.035
			298/2	0.029
			303/1	0.064
		कुल योग	21	0.718

प.क्र. 1324–रीडर–1–2021–राजस्व प्रकरण क्र.–0803–बी–121–2020–21

प्ररुप– "घ"
{ नियम– 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक– 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की **अधिसूचना पत्र कमांक– क्रमांक– 2872/रीडर–1/2020, खण्डवा, दिनांक 21/10/2020** द्वारा, राज्य सरकार ने जावर माईक्रो उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम– जावर, प.ह.नं.– 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक– 02 से ग्राम– गोकुलगांव, प.ह.न 71, तहसील एवं जिला– खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर कमांक– 2 (B) **में जल परिवहन हेतु ग्राम– ढोंढवाड़ा, प.ह.न 54, तहसील एवं जिला– खण्डवा** में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में **दिनांक 06.11.2020** को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा– 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम– ढोंढवाड़ा, प.ह.न 54	548	0.077
			554	0.072
			553/1	0.017
			580/3	0.007
			553/3	0.019

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम– ढोंढवाड़ा, प.ह.न 54	580/5	0.008
			553/4	0.019
			580/4	0.007
			553/5	0.037
			580/2	0.010
			553/2	0.015
			578	0.019
			584/1/1	0.024
			579	0.018
			580/1	0.012
			597/1	0.016
			597/2 597/3	0.015
			592	0.023
			594	0.015
			593	0.035
			603/1	0.028
			605/3	0.024
			604/1	0.009
			604/2	0.012
			604/3	0.013

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम– ढोंढवाड़ा, प.ह.न 54	605/4	0.026
			605/1	0.028
			610/1	0.042
			609/1	0.008
			610/2	0.028
			611	0.018
			612/2	0.008
			612/1/1	0.006
			612/1/2	0.011
			614	0.008
			615	0.009
			655/2	0.010
			663	0.048
			711/1	0.047
			658	0.016
			662	0.084
			711/2	0.034
		कुल योग	42	0.982

प.क्र. 1342–रीडर–1–2021–राजस्व प्रकरण क्र.–0792–बी–121–2020–21

प्ररुप– "घ"
{ नियम– 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक– 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की **अधिसूचना पत्र कमांक– क्रमांक– 2874/रीडर–1/2020, खण्डवा, दिनांक 21/10/2020** द्वारा, राज्य सरकार ने जावर माईक्रो उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम– जावर, प.ह.नं.– 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक– 02 से ग्राम– गोकुलगांव, प.ह.न 71, तहसील एवं जिला– खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर कमांक– 2 (B) **में जल परिवहन हेतु ग्राम– बमनगांव भीला, प.ह.न 56, तहसील एवं जिला– खण्डवा** में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में **दिनांक 06.11.2020** को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा– 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम– बमनगांव भीला, प.ह.न 56	335/2 335/3	0.019
			334	0.052
			352/1	0.022
			357	0.010

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम– बमनगांव भीला, प.ह.न 56	356/1	0.018
			355/3	0.026
			555/3	0.005
			355/2	0.016
			353	0.018
			352/2	0.053
			351	0.059
			348/2	0.018
			350/1	0.065
			349	0.035
			259/1	0.051
			258/2	0.076
			254	0.012
			219/1	0.011
			213/2	0.026
			219/2	0.029
			220/2	0.006
			220/1	0.095
			222/1	0.073
			239	0.028
			238/2	0.012
			237	0.077
			234/2	0.012
			235	0.046
			213/1	0.009
			214/1	0.010
			214/2	0.052
			208/1	0.040
			208/2	0.043
			208/3	0.044
			174/2	0.030
			176	0.066
			26	0.010
			30	0.066
			660/2	0.030
			659/2	0.086
			659/1	0.037
			657	0.043
			664	0.048

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम– बमनगांव भीला, प.ह.न 56	651	0.022
			650	0.030
			668/3	0.038
			332	0.016
			331/2	0.050
			551	0.026
			557	0.088
			555/2	0.024
			555/1	0.032
			554	0.016
			538	0.082
			524	0.080
			518	0.036
			503/4	0.024
			506	0.072
			500/1	0.022
			500/2	0.022
			499/1	0.017
			499/2	0.021
			501/4	0.060
			501/3	0.056
			448/1	0.026
			447/1	0.050
			435	0.008
			436	0.024
			437	0.064
			442	0.074
			21/3	0.013
			21/2	0.005
			21/4	0.005
		कुल योग	73	2.687

प.क्र. 1555–रीडर–1–2021–राजस्व प्रकरण क्र.–0800–बी–121–2020–21

प्ररुप– "घ"
{ नियम– 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक– 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की **अधिसूचना पत्र कमांक– क्रमांक– 2876/रीडर–1/2020, खण्डवा, दिनांक 21/10/2020** द्वारा, राज्य सरकार ने जावर माईक्रो उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत इंदिरासागर रिजरवायर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक–01 ग्राम– सुडवाडिया, प.ह.न 44, तहसील– हरसूद, जिला– खण्डवा से ग्राम– जावर, प.ह.न 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक– 02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर **में जल परिवहन हेतु ग्राम– धनगांव, प.ह.न– 59, तहसील एवं जिला– खण्डवा** में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में **दिनांक** 06.11.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा– 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम– धनगांव, प.ह.न– 59	329	0.241
			332/2	0.058
			333	0.041
			334	0.064
			269	0.006

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम– धनगांव, प.ह.न– 59	272	0.054
			273	0.005
			274	0.004
			275	0.011
			283	0.038
			284	0.036
			285/2	0.029
			285/1	0.027
			279	0.021
			278	0.051
			287	0.034
			159	0.085
			91/2	0.041
			91/3	0.041
			103/1	0.060
			103/2/1	0.049
			103/2/2	0.013
			102/1	0.042
			102/2	0.049
			102/3/1	0.025
			102/3/3	0.025

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम– धनगांव, प.ह.न– 59	82	0.027
			81	0.037
			70	0.044
			69	0.050
			94/1	0.034
			94/2	0.018
			93	0.018
			90	0.034
			45	0.063
			44	0.079
			43/1	0.006
			40/1	0.033
			40/2	0.033
			40/3	0.033
			430/1	0.040
			430/2	0.040
			431	0.036
			432	0.158
		कुल योग	44	1.933

प.क्र. 1732–रीडर–1–2021–क्र.–0088–बी–121–21–22 खण्डवा, दिनांक 7 जून 2021

प्ररुप– "ख"

{ नियम– 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावॅर माईक्रो उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम– जावर, प.ह.नं.– 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक– 02 से ग्राम– गोकुलगांव, प.ह.न 71, तहसील एवं जिला– खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर कमांक– 2 (B) **में जल परिवहन हेतु ग्राम– अटूट भिकारी, प.ह.न 55, रा.नि.मं.– 03, जावर, तहसील एवं जिला– खण्डवा** मध्यप्रदेश राज्य में **कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक–25, नर्मदानगर, जिला– खण्डवा (म.प्र.)** द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक– 5 सन् 2013) की धारा– 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा– 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, खण्डवा, जिला–खण्डवा** मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम– अटूट भिकारी, प.ह.न 55	297/2	0.050
			296	0.063
			300	0.043
			301/1	0.030
			301/2	0.030

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम– अटूट भिकारी, प.ह.न 55	301/3	0.020
			275	0.061
			274/4	0.087
			273/1/3	0.040
			273/1/2	0.040
			352/1	0.028
			352/2	0.010
			352/5	0.028
			352/3	0.020
			352/6	0.010
			352/4	0.030
			353	0.018
			354	0.056
			348	0.058
			347	0.044
			346	0.030
			616/2	0.093
			345	0.040
			337	0.097
			617/3	0.089
			617/1	0.020
			612	0.140
			608/1	0.010
			608/2	0.010
			609/1	0.012
			606/1	0.082
			606/2	0.031
		कुल योग	32	1.420

प.क्र. 1734–रीडर–1–2021–क्र.–0089–बी–121–21–22

:: अधिसूचना ::
प्ररुप– "ख"
{ नियम– 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईको उद्‌वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम– जावर, प.ह.नं.– 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक– 02 से ग्राम– कोटवाड़ा, प.ह.न 59, तहसील एवं जिला– खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर कमांक– 2 (C) की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक–06 में जल परिवहन हेतु **ग्राम– सुन्दरबेल, प.ह.न 84, रा.नि.मं.– 04, खण्डवा–1, तहसील एवं जिला– खण्डवा मध्यप्रदेश** राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग **कमांक–25, नर्मदानगर, जिला– खण्डवा (म.प्र.)** द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक– 5 सन् 2013) की धारा– 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा– 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, खण्डवा, जिला–खण्डवा** मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम– सुन्दरबेल, प.ह.न 84	92	0.016
			91	0.003
			106	0.014
			107	0.002
			99/3	0.035

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम– सुन्दरबेल, प.ह.न 84	99/2	0.018
			99/1	0.016
			100	0.034
			111/2	0.072
			113	0.006
			114	0.020
			116	0.026
			117	0.026
			118/1	0.032
			118/2	0.040
			63	0.024
			61/1	0.004
			60/3	0.029
			131/1	0.005
			126	0.120
			128	0.020
			127	0.068
		कुल योग	22	0.630

प.क्र. 1736–रीडर–1–2021–क्र.–0084–बी–121–21–22

प्ररुप– "ख"

{ नियम– 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम– जावर, प.ह.नं.– 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक– 02 से ग्राम– गोकुलगांव, प.ह.न 71, तहसील एवं जिला– खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर कमांक– 2 (B) से निकलने वाली ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक– 05 **में जल परिवहन हेतु ग्राम– कोलगांव, प.ह.न 42, रा.नि.मं.– 03, जावर, तहसील एवं जिला– खण्डवा मध्यप्रदेश** राज्य में **कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक–25, नर्मदानगर, जिला– खण्डवा (म.प्र.)** द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक– 5 सन् 2013) की धारा– 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा– 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, खण्डवा, जिला–खण्डवा** मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हिक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम– कोलगांव, प.ह.न 42	544	0.046
			547/7	0.040
			542/2	0.110
			539	0.045
			537/1	0.060

प.क्र. 1738—रीडर—1—2021—क्र.—0085—बी—121—21—22

प्ररुप— "ख"

{ नियम— 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावरं माईक्रो उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम— जावर, प.ह.नं.— 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक— 02 से ग्राम— गोकुलगांव, प.ह.न 71, तहसील एवं जिला— खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर कमांक— 2 (B) से निकलने वाली ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक— 58 **में जल परिवहन हेतु ग्राम— रनगांव, प.ह.न 43, रा.नि.मं.— 03, जावर, तहसील एवं जिला— खण्डवा मध्यप्रदेश** राज्य में **कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक—25, नर्मदानगर, जिला— खण्डवा (म.प्र.)** द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक— 5 सन् 2013) की धारा— 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा— 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, खण्डवा, जिला—खण्डवा** मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम— रनगांव, प.ह.न 43	335	0.061
		कुल योग	**01**	**0.061**

प.क्र. 1740–रीडर–1–2021–क्र.–0086–बी–121–21–22

प्ररुप– "ख"

{ नियम– 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम– जावर, प.ह.नं.– 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक– 02 से ग्राम– कोटवाड़ा, प.ह.न 59, तहसील एवं जिला– खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर कमांक– 2 (C) **में जल परिवहन हेतु ग्राम– कोटवाड़ा, प.ह.न 59, रा.नि.मं.– 04, खण्डवा, तहसील एवं जिला– खण्डवा** मध्यप्रदेश राज्य में **कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक–25, नर्मदानगर, जिला– खण्डवा (म.प्र.)** द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक– 5 सन् 2013) की धारा– 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा– 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, खण्डवा, जिला–खण्डवा** मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम– कोटवाड़ा, प.ह.न 59	6	0.006
		कुल योग	01	0.006

प.क्र. 1742—रीडर—1—2021—क्र.—0087—बी—121—21—22

प्ररुप— "ख"

{ नियम— 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईक्रो उदवहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम— जावर, प.ह.नं.— 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक— 02 से ग्राम— गोकुलगांव, प.ह.न 71, तहसील एवं जिला— खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर कमांक— 2 (B) से निकलने वाली ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक— 03, 08 एवं 196 **में जल परिवहन हेतु ग्राम— बड़गांव भीला, प.ह.न 79, रा.नि.मं.— 04, खण्डवा—1, तहसील एवं जिला— खण्डवा मध्यप्रदेश** राज्य में **कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक—25, नर्मदानगर, जिला— खण्डवा (म.प्र.)** द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक— 5 सन् 2013) की धारा— 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा— 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, खण्डवा, जिला—खण्डवा** मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम— बड़गांव भीला, प.ह.न 79	242/1	0.108
			201/1	0.026
			203	0.039
			204	0.010
			197	0.030
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम— बड़गांव भीला, प.ह.न 79	196	0.022
			264	0.066
			263/1	0.009
			262/1	0.025
		कुल योग	09	0.335

प.क्र. 1744–रीडर–1–2021–क्र.–0090–बी–121–21–22

प्ररुप– "ख"
{ नियम– 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईक्रो उद्‌वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम– जावर, प.ह.नं.– 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक– 02 से ग्राम– गोकुलगांव, प.ह.न 71, तहसील एवं जिला– खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर कमांक– 2 (B) से निकलने वाली ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक– 03 एवं 196 **में जल परिवहन हेतु ग्राम– मथेला, प.ह.न 71, रा.नि.मं.– 04, खण्डवा–1, तहसील एवं जिला– खण्डवा मध्यप्रदेश** राज्य में **कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक–25, नर्मदानगर, जिला– खण्डवा (म.प्र.)** द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक– 5 सन् 2013) की धारा– 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा– 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, खण्डवा, जिला–खण्डवा** मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम– मथेला, प.ह.न 71	198/1	0.047
			201/1	0.030
			201/2	0.028
			201/3	0.010
			245/1	0.070
			245/2	0.002
		कुल योग	**06**	**0.187**

प.क्र. 1746—रीडर—1—2021—क्र.—0091—बी—121—21—22

प्ररुप— "ख"

{ नियम— 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईक्रो उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम— जावर, प.ह.नं.— 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक— 02 से ग्राम— गोकुलगांव, प.ह.न 71, तहसील एवं जिला— खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर कमांक— 2 (B) से निकलने वाली ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक— 05 में **जल परिवहन हेतु ग्राम— कवेश्वर, प.ह.न 41, रा.नि.मं.— 03, जावर, तहसील एवं जिला— खण्डवा मध्यप्रदेश** राज्य में **कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक—25, नर्मदानगर, जिला— खण्डवा (म.प्र.)** द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक— 5 सन् 2013) की धारा— 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा— 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, खण्डवा, जिला—खण्डवा** मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम— कवेश्वर, प.ह.न 41	338	0.088
			334	0.002
			321	0.040
			319	0.066
			317	0.013
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम— कवेश्वर, प.ह.न 41	290/1	0.050
			179/7	0.059
			179/6	0.023
			179/1	0.017
			179/5	0.024
			179/4	0.039
			179/3	0.010
			179/2	0.025
		कुल योग	13	0.456

प.क्र. 1748–रीडर–1–2021–क्र.–0092–बी–121–21–22

प्ररुप– "ख"

{ नियम– 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईक्रो उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम– जावर, प.ह.नं.– 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक– 02 से ग्राम– कोटवाड़ा, प.ह.न 59, तहसील एवं जिला– खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर कमांक– 2 (C) की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक–06 **में जल परिवहन हेतु ग्राम– नहाल्दा, प.ह.न 59, रा.नि.मं.– 04, खण्डवा–1, तहसील एवं जिला– खण्डवा मध्यप्रदेश** राज्य में **कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक–25, नर्मदानगर, जिला– खण्डवा (म.प्र.)** द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक– 5 सन् 2013) की धारा– 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा– 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, खण्डवा, जिला–खण्डवा** मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम– नहाल्दा, प.ह.न 59	294/2	0.026
			486	0.058
			490	0.050
			492	0.017
			491/1	0.051

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम– नहाल्दा, प.ह.न 59	491/2	0.028
			517	0.007
			514	0.046
			513	0.012
			412	0.003
			556/1	0.043
			547	0.057
			555/2	0.028
			554/1	0.043
			554/2	0.021
			562/1/1	0.027
			562/2	0.025
			562/1/2	0.033
			584/1/1	0.028
			584/2	0.018
			591	0.010
			592	0.080
			590	0.041
			605	0.046
		कुल योग	**24**	**0.798**

प.क्र. 1750–रीडर–1–2021–क्र.–0093–बी–121–21–22

प्ररुप– "ख"

{ नियम– 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईक्रो उदवहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम– जावर, प.ह.नं.– 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक– 02 से ग्राम– कोटवाड़ा, प.ह.न 59, तहसील एवं जिला– खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर कमांक– 2 (C) की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक–95 में **जल परिवहन हेतु ग्राम– रुधी, प.ह.न 90, रा.नि.मं.– 04, खण्डवा–1, तहसील एवं जिला– खण्डवा मध्यप्रदेश** राज्य में **कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक–25, नर्मदानगर, जिला– खण्डवा (म.प्र.)** द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक– 5 सन् 2013) की धारा– 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा– 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, खण्डवा, जिला–खण्डवा** मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम– रुधी, प.ह.न 90	196	0.054
			148	0.022
			149	0.023
			150	0.027
			152	0.006
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम– रुधी, प.ह.न 90	141/2	0.063
			140/2	0.004
			139/2	0.040
			137/2	0.010
			138/2	0.024
		कुल योग	10	0.273

प.क्र. 1752–रीडर–1–2021–क्र.–0094–बी–121–21–22

प्ररुप– "ख"

{ नियम– 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक– 01 ग्राम– सुडवाडिया, प.ह.न 44, तहसील– हरसूद, जिला– खण्डवा से टेल (ग्राम– सिवना, प.ह.न 66, तहसील एवं जिला– खण्डवा) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक– 30 व 101 **में जल परिवहन हेतु ग्राम– सांवखेड़ा, प.ह.न 67, रा.नि. मं.– 04, खण्डवा–1, तहसील एवं जिला– खण्डवा** मध्यप्रदेश राज्य में **कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक–25, नर्मदानगर, जिला– खण्डवा (म.प्र.)** द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक– 5 सन् 2013) की धारा– 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा– 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, खण्डवा, जिला–खण्डवा** मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम– सांवखेड़ा, प.ह.न 67	806	0.057
			740	0.056
			742	0.045
			743	0.040
			753	0.085

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम– सांवखेड़ा, प.ह.न 67	754/2	0.047
			754/1	0.036
			777	0.041
			778	0.042
			779	0.044
			780	0.041
			781	0.044
			259	0.049
			257	0.014
			256	0.028
			255	0.070
			216/1	0.041
			216/2	0.046
		कुल योग	**18**	**0.826**

प.क्र. 1754–रीडर–1–2021–क्र.–0095–बी–121–21–22

प्ररुप– "ख"

{ नियम– 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईक्रो उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम– जावर, प.ह.नं.– 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक– 02 से ग्राम– गोकुलगांव, प.ह.न 71, तहसील एवं जिला– खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक– 2 (B) से निकलने वाली ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक– 23 एवं 64 **में जल परिवहन हेतु ग्राम– भकराड़ा, प.ह.न 53, रा.नि.मं.– 03, जावर, तहसील एवं जिला– खण्डवा मध्यप्रदेश** राज्य में **कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक–25, नर्मदानगर, जिला– खण्डवा (म.प्र.)** द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक– 5 सन् 2013) की धारा– 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा– 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, खण्डवा, जिला–खण्डवा** मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम– भकराड़ा, प.ह.न 53	360	0.037
			356/1	0.036
			356/2	0.094
			340	0.030
			341	0.049

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम– भकराड़ा, प.ह.न 53	342	0.031
			343	0.027
			334/1	0.029
			334/3	0.029
			334/4	0.056
			524	0.036
			526	0.043
			575/1	0.049
			575/2	0.025
			565/2	0.053
			565/1	0.015
			564	0.023
			563	0.007
			562	0.007
			561	0.007
			558/1	0.017
			557	0.021
			533/1	0.050
			533/2	0.055
			733/1	0.050
			733/2	0.049

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम– भकराड़ा, प.ह.न 53	737/3	0.020
			738	0.011
			739	0.020
			742	0.006
			741	0.004
			740	0.023
			745	0.018
			746/2	0.013
			750	0.039
		कुल योग	35	1.079

प.क्र. 1756–रीडर–1–2021–क्र.–0096–बी–121–21–22

प्ररुप– "ख"

{ नियम– 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईक्रो उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम– जावर, प.ह.नं.– 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक– 02 से ग्राम– गोकुलगांव, प.ह.न 71, तहसील एवं जिला– खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक– 2 (B) से निकलने वाली ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक– 18 में **जल परिवहन हेतु ग्राम– बिजोरा भील, प.ह.न 50, रा.नि.मं.– 04, खण्डवा–1, तहसील एवं जिला– खण्डवा मध्यप्रदेश** राज्य में **कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक–25, नर्मदानगर, जिला– खण्डवा (म.प्र.)** द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक– 5 सन् 2013) की धारा– 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा– 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, खण्डवा, जिला–खण्डवा** मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम– बिजोरा भील, प.ह.न 50	355/2	0.024
			355/1	0.035
			353/8	0.021
			353/7	0.022
			353/6	0.023

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम– बिजोरा भील, प.ह.न 50	353/5	0.018
			353/4/1	0.011
			353/4/2	0.012
			353/3	0.022
			353/2	0.016
			395/1/1	0.022
			395/1/2	0.020
			394	0.024
			393	0.023
			390/1	0.012
			392/1	0.006
			466	0.078
			465	0.006
			467	0.041
			509/2	0.042
			509/1	0.007
			510/1	0.034
			588/3	0.036
			588/1	0.022
			588/2	0.019
			587/1	0.008
			587/2	0.008
			587/3	0.008
			587/4	0.008
			587/5	0.008
			586/3	0.017
			586/2	0.011
			586/1	0.008
			582/2	0.005
			602/1	0.015
			602/2	0.028
			602/3	0.013
			603/1	0.030
			603/2	0.016
			604/2	0.076
			604/1	0.041
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम– बिजोरा भील, प.ह.न 50	572	0.021
			571	0.016
			570	0.026
			569	0.014
			568	0.011
		कुल योग	46	0.984

पत्र.क्र. 1758–रीडर–1–2021–क्र.–0097–बी–121–21–22

प्ररुप– "ख"

{ नियम– 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम– जावर, प.ह.नं.– 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक– 02 से ग्राम– गोकुलगांव, प.ह.न 71, तहसील एवं जिला– खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर कमांक– 2 (B) से निकलने वाली ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक– 06 **में जल परिवहन हेतु ग्राम– पिपल्या तहार, प.ह.न 72, रा.नि.मं.– 04, खण्डवा–1, तहसील एवं जिला– खण्डवा मध्यप्रदेश** राज्य में **कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक–25, नर्मदानगर, जिला– खण्डवा (म.प्र.)** द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक– 5 सन् 2013) की धारा– 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा– 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, खण्डवा, जिला–खण्डवा** मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम– पिपल्या तहार, प.ह.न 72	358/1	0.002
			357/2	0.010
			362	0.004
			363	0.004
			364	0.006

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम– पिपल्या तहार, प.ह.न 72	366	0.006
			367	0.008
			368/1	0.005
			368/2	0.004
			369	0.009
			423	0.008
			375/2	0.008
			376	0.008
			388	0.007
			394/1	0.009
			402/1	0.009
			407	0.020
			414	0.033
			422	0.012
			430/2	0.014
			432/2	0.008
			433	0.024
			434/2	0.020
			466	0.018
			235/1	0.035
			259	0.012

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम– पिपल्या तहार, प.ह.न 72	219	0.018
			221	0.048
			222	0.018
			213	0.016
			211	0.026
			212	0.021
			209/2	0.028
			209/3	0.014
			209/4	0.018
			209/5	0.034
			208/2	0.042
			207/1	0.056
			684/1	0.026
			684/2	0.044
			683/4	0.012
			682	0.070
			681	0.008
		कुल योग	43	0.802

ममता खेड़े, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 2021

आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति/निर्देश में संशोधन की अधिसूचना

क्र. एफ-12-2-2014-सात-शा.-2.—राज्य सरकार, एतद्द्वारा, भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013-शासन के विभिन्न विभागों/उपक्रमों के लिए जारी ''आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति'' समसंख्यक नीति/निर्देश दिनांक 12 नवम्बर 2014 में निम्नानुसार संशोधन करती है:—

1. आपसी सहमति से क्रय नीति, 2014 को केन्द्र सरकार के विभागों तथा उपक्रमों के मामले में भी लागू किया जाता है. इस हेतु नीति में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:—

(1) परिपत्र की कंडिका 1 में **''राज्य सरकार''** के बाद **''अथवा केन्द्र सरकार''** शब्द जोड़े जाते हैं.

(2) परिपत्र की कंडिका 2 के बिन्दु क्रमांक 1 में **''राज्य सरकार''** के बाद **''अथवा केन्द्र सरकार''** शब्द जोड़े जाते हैं.

(3) परिपत्र की कंडिका 2 के बिन्दु क्रमांक 16 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है—

''क्रय विलेख के पंजीयन उपरान्त भूमि का नामांतरण राजस्व अभिलेखों में यथास्थिति मध्यप्रदेश शासन अथवा केन्द्र शासन के पक्ष में किया जाएगा जिसमें संबंधित विभाग/उपक्रम का नाम भी अंकित होगा.''

(4) परिपत्र के प्ररूप-क के विषय में शब्द **''राज्य शासन''** के बाद **''अथवा केन्द्र शासन''** शब्द जोड़े जाते हैं.

(5) परिपत्र के प्ररूप-क के प्रथम पद में **''राज्य शासन''** के बाद **''अथवा केन्द्र शासन''** शब्द जोड़े जाते हैं.

(6) परिपत्र के प्ररूप-ख के प्रथम पद में **''राज्य सरकार''** के बाद **''अथवा केन्द्र सरकार''** शब्द जोड़े जाते हैं.

2. परिपत्र की कंडिका 2 का बिन्दु क्रमांक 6 निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:—

''विभाग/उपक्रम सर्वप्रथम अधोसंरचना अथवा परियोजना के लिये क्रय की जाने वाली भूमि की न्यूनतम आवश्यकता का आंकलन कर निजी भू-धारक की क्रय की जाने वाली भूमि चिन्हांकित करेगा और आवश्कतानुसार भूमि क्रय करने हेतु विभाग/उपक्रम का प्राधिकृत अधिकारी कलेक्टर को आवेदन प्रस्तुत करेगा तथा केन्द्र सरकार के विभाग/उपक्रम के मामले में नीति अंतर्गत कार्यवाही हेतु भूमि/भू-खण्ड तथा उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों के कुल बाजार मूल्य का एक प्रतिशत प्रशासनिक व्यय लिया जाएगा.''

3. परिपत्र की कंडिका 2 का बिन्दु क्रमांक 15 निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता हैं:—

''इस नीति के अन्तर्गत भूमि का क्रय राज्य शासन के विभाग के मामले में 'मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा कलेक्टर' के नाम से तथा अन्य मामले में यथास्थिति राज्य सरकार के उपक्रम, केन्द्र सरकार के विभाग अथवा केन्द्र सरकार के उपक्रम के नाम से किया जाएगा.''

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 17 जून 2021

क्र. 3787-भू-अर्जन-2021.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

(2) मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22 ए/101/2016/एम.पी.एस./31/1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

(3) अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे." अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(4) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी.	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन.
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	ग्राम—जटलापुर, प.ह.नं. 52 ब. न. 183 रा.नि.मं.- छिन्दवाड़ा	रकबा-0.052 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसम्पत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी तहसील छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन बांध निर्माण से डूब प्रभावित क्षेत्र हेतु निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बाँध जल संसाधन क्र. 1 चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन मिट्टी बांध उपसंभाग, क्र. 1 सिंगना, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

[भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अंतर्गत]

कटनी, दिनांक 11 जून 2021/ कटनी, दिनांक 14 जून 2021

प्र.क्र. 02-अ-82-20-21 पत्र क्र.-4235-जिला भू-अर्जन-अपर कले.-2021.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को अनुसूची के खाने (6) में उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

चूँकि, भारत सरकार रेल मंत्रालय से स्वीकृत जिला कटनी में ग्रेड सेपरेटर लाईन बायपास का निर्माण वृहद पुल तथा उसके ऊपर रेल यातायात व्यवस्था संबंधी कार्य कराया जाना है, जो कि देश प्रदेश हित, जन विकास की सार्वजनिक प्रयोजन संबंधी कार्य योजना है जिसमें भू-अर्जन कार्यवाही समय सीमा में वांछित है. मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश क्र. एफ-16-15=(1)-2014-सात-शा. 2ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 में दी गई अधिकारिक क्षमता व भारत सरकार द्वारा जारी अध्यादेश राजपत्र दिनांक 31 दिसम्बर 2014 में निहित प्रावधानों के अनुसरण में कलेक्टर कटनी प्राधिकृत समुचित सरकार द्वारा प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय II तथा III की कार्यवाही से विमुक्त किया गया है. द्वितीय अध्यादेश दिनांक 3-4-2015 में प्रावधानिकता अनुसार प्रस्तावित रकवा निर्माण योजना आवश्यकता के अनुरुप है. इस हेतु धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कटनी	कटनी	पडरिया प.ह.नं. 31 नं. बं. 208	0.39	मुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेल जबलपुर.	कटनी ग्रेड सेपरेटर बायपास लाईन के निर्माण हेतु.
		झलवारा प.ह.नं. 30 नं. ब. 153	0.83		

(2) प्रस्तावित अर्जन क्षेत्र में कोई धार्मिक संस्थान, स्मारक, मजार, मंदिर, मस्जिद, कब्रिस्तान आदि प्रभावित नहीं होते, जिससे जनसंताप हो.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रियंक मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़, (ब्यावरा) मध्यप्रदेश

प्रारूप धारा-25

[भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013]

राजगढ़, दिनांक 24 जून 2021

प्र. क्र. 2343-भू-अर्जन-2021-प्र. क्र. 15-अ-82-2014-15- दिनांक 2 जुलाई 2019.—राज्य शासन को इस बात का समाधान हो जाने के उपरांत पाया गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है इस आशय की धारा-19 की अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 8 मार्च 2019 को कराया गया था. मुआवजा वितरण हेतु पर्याप्त राशि उपलब्ध न होने के कारण 01 वर्ष की नियत अवधि में अवार्ड पारित नहीं किया जा सका.

अतः भू-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-25 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन अवार्ड पारित किये जाने की समय सीमा में एक वर्ष की वृद्धि करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
राजगढ़	पचोर	तलेन बमोरी	3.158	तलेन-धुआँखेडी मार्ग निर्माण में प्रभावित भूमि.

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सारंगपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

नीरज कुमार सिंह, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 8 जून 2021

क्र. 98-भू-अर्जन-21.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची (1) के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार अनुसूची (2) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (1) के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची (1)

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	कसरावद	पंचदेवली	0.357	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन.	अंबक नाला तालाब योजना के नहर विस्तारीकरण कार्य हेतु.

अनुसूची (2)

अबंक नाला तालाब योजना के नहर विस्तारीकरण कार्य हेतु ग्राम—पंचदेवली की प्रभावित निजी भूमि का विवरण

सर्वे नंबर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
106, 107/1, 107/2, 108/1, 108/2 108/10	0.357

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी रा. एवं भू-अर्जन अधिकारी, कसरावद एवं जल संसाधन संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुग्रहा पी., कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 24 जून 2021

क्र. 35-भू-अर्जन-प्र.क्र.-अ-82-2021-22.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (6) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (8) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है/आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (7) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

चूंकि नगर पालिक निगम जबलपुर की सीवरेज परियोजना के डी. पी. आर. की म. प्र. शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 2017 को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है. इस कारण से धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन						अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकारी अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नंबर	अर्जन का क्षेत्रफल (हे. में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
जबलपुर	गोरखपुर	पुरवा	211/1(S)	0.648 हे. में से 0.405 हे.	दुर्गा शंकर कोष्टा, पिता रेवाराम कोष्टा, गढ़ा, जबलपुर, मध्यप्रदेश.	प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जबलपुर.	अमृत मलजल निकासी परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.jabalpur.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, गोरखपुर के कार्यालय में एवं नगर पालिक निगम, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा, अर्थात् क्रय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.

(5) अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किये जा सकेंगे.

भूमि का नक्शा (प्लान) कॉलम (5) दर्शित अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 11 जून 2021

प्र. क्र. 23-अ-82-वर्ष-2020-21.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—गुनौर
(ग) ग्राम—मैनहा
(घ) क्षेत्रफल—4.030 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हैक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
991	0.040	निजी भूमि
990	0.020	निजी भूमि
986	0.070	निजी भूमि
989	0.030	निजी भूमि
988	0.020	निजी भूमि
981	0.700	निजी भूमि
978	0.040	निजी भूमि
979	0.020	निजी भूमि
(1)	(2)	(3)
972	0.060	निजी भूमि
970/2	0.030	निजी भूमि
970/1	0.040	निजी भूमि
973/2	0.030	निजी भूमि
973/1	0.020	निजी भूमि
966	0.060	निजी भूमि
967	0.080	निजी भूमि
921	0.060	निजी भूमि
922	0.070	निजी भूमि
919/1ख	0.010	निजी भूमि
750	0.040	निजी भूमि
907	0.040	निजी भूमि
908	0.020	निजी भूमि
906	0.040	निजी भूमि
909	0.020	निजी भूमि
903	0.040	निजी भूमि
904	0.020	निजी भूमि
854	0.020	निजी भूमि
855/1	0.040	निजी भूमि
855/2	0.010	निजी भूमि
856	0.050	निजी भूमि
851	0.040	निजी भूमि
850	0.030	निजी भूमि
847	0.070	निजी भूमि
849	0.030	निजी भूमि
848	0.030	निजी भूमि
838/2	0.050	निजी भूमि
790	0.050	निजी भूमि
789	0.030	निजी भूमि
791	0.020	निजी भूमि
793	0.020	निजी भूमि
788	0.080	निजी भूमि
787	0.050	निजी भूमि
628	0.080	निजी भूमि
627	0.040	निजी भूमि
558/1/क	0.050	निजी भूमि
558/1/ख	0.050	निजी भूमि
558/1/ग	0.050	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
558/2/क	0.060	निजी भूमि
559	0.020	निजी भूमि
560	0.080	निजी भूमि
561	0.010	निजी भूमि
562/2	0.020	निजी भूमि
553	0.050	निजी भूमि
546	0.050	निजी भूमि
480/1	0.080	निजी भूमि
480/2	0.080	निजी भूमि
478	0.070	निजी भूमि
543	0.020	निजी भूमि
479	0.010	निजी भूमि
473/1	0.090	निजी भूमि
358	0.120	निजी भूमि
359	0.130	निजी भूमि
360	0.020	निजी भूमि
377	0.040	निजी भूमि
376	0.040	निजी भूमि
379	0.010	निजी भूमि
380	0.010	निजी भूमि
374	0.010	निजी भूमि
391	0.070	निजी भूमि
373	0.060	निजी भूमि
394	0.020	निजी भूमि
395	0.080	निजी भूमि
372/1	0.040	निजी भूमि
370	0.090	निजी भूमि
81/1	0.010	निजी भूमि
83	0.020	निजी भूमि
402/1	0.100	निजी भूमि
371	0.010	निजी भूमि
योग . .	4.030	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है:— पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत माइनर एवं सब-माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु धारा 19 का प्रकाशन, ग्राम-मैनहा तहसील एवं अनुभाग गुनौर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुनौर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 27-अ-82-वर्ष-2020-21.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—गुनौर
(ग) ग्राम—मुड़वारी
(घ) क्षेत्रफल—4.710 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	कुल अर्जित रकबा (हैक्टेयर में) (2)	भूमि का प्रकार (3)
2609/3	0.060	निजी भूमि
3457/1	0.260	निजी भूमि
3457/2	0.300	निजी भूमि
3396/1	0.050	निजी भूमि
3397	0.010	निजी भूमि
3399	0.090	निजी भूमि
3398	0.010	निजी भूमि
3404	0.010	निजी भूमि
3405/1	0.030	निजी भूमि
3405/2	0.010	निजी भूमि
3410	0.010	निजी भूमि
3409/1	0.020	निजी भूमि
3409/2	0.040	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
3409/3	0.030	निजी भूमि	3345	0.110	निजी भूमि
3409/4	0.020	निजी भूमि	3344/1	0.060	निजी भूमि
3406	0.020	निजी भूमि	3344/2	0.060	निजी भूमि
3407/1	0.020	निजी भूमि	3324	0.010	निजी भूमि
3407/2	0.020	निजी भूमि	3325	0.050	निजी भूमि
3408	0.030	निजी भूमि	3320/1	0.030	निजी भूमि
3432	0.010	निजी भूमि	3321	0.030	निजी भूमि
3431	0.010	निजी भूमि	3322	0.030	निजी भूमि
3422	0.060	निजी भूमि	3296	0.030	निजी भूमि
3421	0.030	निजी भूमि	4915/1	0.020	निजी भूमि
3420	0.030	निजी भूमि	4915/2/1	0.110	निजी भूमि
3502	0.050	निजी भूमि	4934/1	0.010	निजी भूमि
3503	0.040	निजी भूमि	4934/2	0.090	निजी भूमि
3504	0.010	निजी भूमि	4973	0.060	निजी भूमि
3505	0.020	निजी भूमि	4972	0.010	निजी भूमि
3506	0.030	निजी भूमि	4974	0.010	निजी भूमि
3507	0.020	निजी भूमि	4975	0.090	निजी भूमि
3413	0.010	निजी भूमि	4976	0.060	निजी भूमि
3385	0.080	निजी भूमि	4981	0.010	निजी भूमि
3386	0.030	निजी भूमि	5004	0.010	निजी भूमि
3384/1	0.010	निजी भूमि	5003	0.020	निजी भूमि
3383	0.040	निजी भूमि	5002	0.050	निजी भूमि
3382	0.050	निजी भूमि	5000	0.050	निजी भूमि
3381	0.020	निजी भूमि	4999	0.080	निजी भूमि
3380/2	0.010	निजी भूमि	5037	0.070	निजी भूमि
3358/1	0.020	निजी भूमि	5043	0.010	निजी भूमि
3359	0.030	निजी भूमि	5041	0.020	निजी भूमि
3360	0.010	निजी भूमि	5040/1	0.020	निजी भूमि
3355	0.010	निजी भूमि	5048	0.120	निजी भूमि
3354	0.050	निजी भूमि	5047	0.010	निजी भूमि
3353/1	0.010	निजी भूमि	5042	0.020	निजी भूमि
3352/2	0.120	निजी भूमि	5055	0.020	निजी भूमि
3352/3/क/1	0.100	निजी भूमि	5054	0.040	निजी भूमि
3352/3/क/2	0.010	निजी भूमि	4746	0.040	निजी भूमि
3351/2	0.010	निजी भूमि	4795	0.010	निजी भूमि
3350/1	0.100	निजी भूमि	4796	0.070	निजी भूमि
3343/1	0.010	निजी भूमि	4797	0.020	निजी भूमि
3343/2	0.060	निजी भूमि	4798	0.050	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
4799	0.030	निजी भूमि
4800	0.030	निजी भूमि
4801	0.010	निजी भूमि
4794/2	0.030	निजी भूमि
4747	0.080	निजी भूमि
4748/1	0.040	निजी भूमि
4748/2	0.040	निजी भूमि
4749	0.030	निजी भूमि
4750	0.010	निजी भूमि
4114/1	0.120	निजी भूमि
4114/3	0.020	निजी भूमि
4113/1	0.040	निजी भूमि
4113/3	0.040	निजी भूमि
2579/1	0.160	निजी भूमि
2566	0.010	निजी भूमि
864/2	0.050	निजी भूमि
865/2	0.020	निजी भूमि
1014/1	0.010	निजी भूमि
1013/1	0.020	निजी भूमि
881/1	0.020	निजी भूमि
984	0.040	निजी भूमि
962	0.030	निजी भूमि
2578	0.010	निजी भूमि
2577/1	0.020	निजी भूमि
2621	0.020	निजी भूमि
2626	0.020	निजी भूमि
271	0.010	निजी भूमि
योग . .	4.710	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है:— पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत माइनर एवं सब माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु धारा-19 का प्रकाशन, ग्राम-मुड़वारी तहसील एवं अनुभाग गुनौर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुनौर में किया जा सकता है.

पन्ना, दिनांक 22 जून 2021

प्र. क्र. 01-अ-82-वर्ष-2020-21.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—पवई
(ग) ग्राम—पटनाकलॉ
(घ) क्षेत्रफल—1.00 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	कुल अर्जित रकबा (हैक्टेयर में) (2)	भूमि का प्रकार (3)
608	0.09	निजी भूमि
597	0.16	निजी भूमि
598	0.01	निजी भूमि
599	0.16	निजी भूमि
595/1	0.13	निजी भूमि
595/2	0.02	निजी भूमि
607/1	0.01	निजी भूमि
605/2	0.05	निजी भूमि
607/2	0.01	निजी भूमि
658	0.11	निजी भूमि
828/1	0.11	निजी भूमि
829/1	0.02	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
840	0.01	निजी भूमि
867	0.02	निजी भूमि
829/2	0.03	निजी भूमि
371	0.06	निजी भूमि
योग . .	1.000	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—में पटना तालाब योजना अंतर्गत बॉध एवं नहर निर्माण में प्रभावित शेष कृषकों के भूमि अर्जन कार्य हेतु धारा 19 का प्रकाशन, ग्राम पटनाकलॉ तहसील एवं अनुभाग पवई.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पवई में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय कुमार मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 15 जून 2021

प्र. क्र. 01-अ-82-2018-19.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीहोर
(ख) तहसील—जावर
(ग) ग्राम—कैशोपुर
(घ) क्षेत्रफल—74.909 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टे. में)
(1)	(2)
2/1/1	0.505
2/3	0.158
3/1	0.344
3/2	0.478
3/3/1	0.536
3/3/2	0.787
4/1	0.607
4/2/1	0.405
4/2/2	0.825
5	0.194
6	0.158
7	0.849
8/1	0.263
8/2	0.121
9	0.053
10	0.053
11	0.149
12	0.117
13	0.805
14/2/1 शा 15/2/1	0.793
14/2/2 शा 15/2/2	1.130
15/1क	0.323
15/1ख	1.497
15/1ग	0.335
16	1.700
17/1	0.206
17/2	0.089
18/1	0.174
18/2	0.177
19	0.307
20	0.093
21	0.267
22	0.708
23, 24	0.433
25	0.166
26	0.020
28	0.494
29/1क	0.429
29/1ख	0.299
29/1ग	0.307
29/2	0.040
31	0.390
32	0.206
33	0.878
34	0.295

(1)	(2)
36	1.416
37	1.016
38/1	0.769
2/2/1	1.650
38/3	0.040
2/2/2	1.950
38/5	0.121
38/6	0.809
42	0.310
43	0.142
44/1	0.105
62/2	0.405
44/2	0.203
45	1.113
47/1	0.498
47/2	0.332
47/3	0.498
47/4	0.664
48/1	0.579
48/2	0.579
50	0.490
51	0.745
52/1	0.583
52/2	0.706
53/1	0.057
53/2/1	0.109
53/2/2	0.053
53/3	0.101
54	0.089
55,56,57	0.951
60/1	0.405
60/2	0.214
61/1	0.073
61/2	0.024
62/1	0.405
62/3	0.182
63/1	0.501
63/2	0.405
64/1	0.405
64/2	0.210
65/1	0.170
65/2	0.166

(1)	(2)
66	0.089
67	0.368
69	0.332
70	0.344
71	0.295
72/1	0.376
72/2	0.332
73/1	0.101
73/2	0.028
75	0.530
76/1/1	0.583
76/1/2	0.583
76/2	0.089
76/3/1	0.069
76/3/2	0.065
76/4	0.057
77/1/1	0.283
77/1/2	0.283
77/2/1	0.012
77/2/2	0.012
77/2/3	0.008
78	0.032
79, 80/1	0.405
79, 80/2	0.145
81	0.555
82/2	0.053
83, 84, 85	0.073
84	0.053
85	0.401
86	0.385
87/1	0.158
87/2	0.158
88/1/1	0.154
88/1/2	0.158
88/2	0.312
89/1/1	0.053
89/1/2	0.053
89/1/3	0.053
89/1/4	0.053
89/2/1	0.016
89/2/2	0.028
89/2/3	0.016
90/1/1	0.024

(1)	(2)
90/1/2	0.020
90/1/3	0.020
90/2	0.016
90/3/1	0.032
90/3/2	0.032
90/4	0.016
90/5	0.052
90/6	0.012
90/7	0.004
91/1	0.004
91/2	0.004
91/3	0.020
91/4	0.020
92/1	0.061
92/2	0.061
92/3	0.061
92/4	0.064
94	0.140
99, 100, 101/1	0.486
99, 100, 101/2	0.325
102/1	0.328
102/2	0.328
103/1	0.279
103/2	0.275
104/3	0.065
104/4	0.101
109, 110	0.162
163/3/1	0.115
163/3/2	0.125
165/2	0.016
165/3	0.020
166	0.061
167	0.202
168/1	0.040
168/2/1	0.008
168/2/2	0.016
168/2/3	0.016
168/3	0.040
168/4	0.049
169/1	0.012
169/2	0.008
169/3	0.012

(1)	(2)
169/4	0.012
170/1	0.024
170/2	0.024
170/3	0.024
170/4	0.020
171/1	0.065
171/2ब	0.065
171/3	0.069
171/4	0.069
172/1	0.016
172/2	0.016
172/3	0.016
173	0.020
174/1	0.029
174/2	0.007
175/1	0.008
175/2	0.004
179	0.741
363	0.878
348	0.125
366/1/क	1.295
367	0.521
368	2.906
369	0.405
362/4	0.050
345/1/3	0.175
359/1क	0.202
359/1ग	0.222
359/1घ	0.142
359/2/1	0.101
359/2/2	0.750
82/1	0.049
345/1/1	0.364
345/1/2	0.323
345/2/1	0.312
345/2/2	0.012
344/1	0.270
344/2	0.161
344/3	0.161
344/4	0.161

(1)	(2)	(1)	(2)
343/1	0.224	319/3	0.210
359/1ख	0.304	319/4	0.057
371/2/2	1.360	104/2	0.049
317/1	0.010	318/1	0.097
317/2	0.040	318/2	0.050
155/1	0.370	318/3	0.100
155/2	0.145	318/4	0.057
164	0.073	323	0.384
162	0.053	161	0.030
180/2	0.015	324/1/3	0.008
180/3	0.060	324/1/4	0.025
180/4	0.015	322/1	0.020
180/5	0.015	324/6/2/1	0.020
180/6	0.014	324/6/2/2	0.134
181	1.469	324/6/2/3	0.138
182	0.053	165/1	0.016
186/1	0.445	163/1	0.081
186/2	0.040	183/1	0.016
186/3	0.040	187/1	0.081
186/4	0.097	163/3/3	0.206
186/5	0.061	229, 230	0.140
186/6	0.061	187/2	0.206
186/7	0.061	187/4	0.161
186/8	0.040	183/2/1	0.020
188/1	0.261	183/2/2	0.031
188/2	0.291	183/2/3	0.045
195/1	0.050	183/2/4	0.050
189/3	0.466	183/2/5	0.048
189/4	0.205	183/3/1	0.082
190	0.110	183/3/2	0.082
191	0.400	183/3/3	0.085
192	0.400	185/1	0.041
194/1	0.084	105/1क, 106	0.015
194/2	0.121	107, 108/1	0.040
194/3/1	0.027	107, 108/5	0.040
194/3/2	0.027	141	0.121
194/3/3	0.027	142/1 शा. 143, 151/1	0.185
196	0.050	157/1	0.145
233/1	0.024	157/2	0.075
233/2	0.028	157/3	0.015
234/3	0.025	157/4	0.020
234/2	0.046	95/1	0.035
319/2	0.020	159/2	0.075

(1)	(2)
362/1घ	0.040
362/1क	0.530
362/1ख	0.060
380/75	0.530
2/1/2	0.325
93	0.036
योग. .	74.909

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता हैं—कान्याखेडी मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत बांध निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी आष्टा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 2-अ-82-2018-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीहोर
(ख) तहसील—जावर
(ग) ग्राम—डोडी
(घ) क्षेत्रफल—6.106 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक/ सर्वे नम्बर	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टे. में)
(1)	(2)
225/3/3	0.076
225/1/1, 225/2, 226, 227	1.012
228	0.324
230/5 शा. 231, 232, 233, 234/1	0.450
230/6, 231, 232, 233, 234/1	0.154
230/7, 231, 232, 233, 234/1	0.158
236/1	0.028
236/2/1	0.089
236/2/2	0.445
236/3	0.365
237/1	0.089
237/2	0.376
237/3	0.566
239/1	0.810
239/3	0.364
239/4	0.089
262/1	0.453
336/2	0.050
351/2/झ	0.098
346/2	0.110
योग. .	6.106

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता हैं—कान्याखेडी मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत बांध निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी आष्टा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 003-अ-82-2018-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीहोर
(ख) तहसील—जावर
(ग) ग्राम—हरनिया गांव
(घ) क्षेत्रफल—114.952 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक/ सर्वे नम्बर	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टे. में)
(1)	(2)
219/1/1/ज	0.849
219/1/1झ	3.175
219/1/1ञ	1.705
219/2/1	2.225

(1)	(2)
219/2/1/2	0.405
219/2/2/क	0.405
219/2/2ख	1.416
221	0.154
222	0.930
223	0.198
224	0.320
225	0.259
226	0.446
227, 354/227	1.200
228	1.214
229	0.182
230	0.105
232/1, 235/2, 350/232/1	2.525
232/2/3, 235/2, 350/232/3	0..841
232/2/4	0.421
232/2/5	0.421
232/4, 235/2, 350/232/4	0.842
233/1	1.821
233/2	1.267
235/1	14.505
236/1/1	1.295
236/1/2/ख	0.481
236/1/2/ग	0.619
236/2, 237	6.803
236/3/1	2.594
238/1/4, 239, 240, 241, 242, 358, 242/1/4	1.618
238/1/ब/1, 239, 240, 241, 242, 358/242/1ब	2.209
238/1/ब/2, 239, 240, 241, 242, 358/242/1/2	1.404
238/1/ब/3, 239, 240, 241, 242, 358, 242/1/ब/1	0.934
238/1/ज्ञ, 239, 240, 241, 242, 358/242/1अ	1.619
238/2/1/क, 239, 240, 241, 242, 358, 242/2/1क	2.832
238/2/1/ख, 239, 240, 241, 242, 358, 242/2/1ख	2.217
238/2/1/ग, 239, 240, 241, 242, 358, 242/2/1ग	0.505
238/2/2, 239, 240, 241, 242, 358, 242/2/2	0.202
238/2/3, 239, 240, 241, 242, 358/242	1.012
238/2/4, 239, 240, 241, 242, 358/242	1.012
246/1	4.452
246/2/2/1, 247/2/1	0.202
246/2/2/ख, शा. 247/2/2ख	1.853
246/2/3, 247/2/3	1.335
246/2/4, 247/2/4	0.350
246/2/5, 247/2/5	0.898
246/2/6, 247/2/6	0.140
246/2/7, 247/2/7	0.607
246/2/8, 247/2/8	0.610
246/2/9, 247/2/9	0.145
246/2/10, 247/2/10	0.650
246/2/11, 247/2/11	0.081
246/2/क, 247/2/क	0.780
247/1/1	0.809
247/1/2	4.047
247/1/3	0.918
247/1/4	1.942
247/1/5	0.376
247/3	2.448
249/1	1.821
249/2	0.263
249/3	0.263
249/4	0.263
249/5	0.263
249/6	0.263
249/7	0.263
249/8	0.263
249/9	0.275

(1)	(2)
250/1	0.223
250/2	0.243
250/3	0.603
251/1/क	0.194
251/1/ख	0.198
251/2	0.393
252/1	0.793
252/2	0.797
252/3	0.793
253/1	0.538
253/2	0.538
253/3	1.084
254/2/1/क, शा. 255, 335/2/1/क	0.437
254/2/1/ख, शा. 255, 335/2/1/ख	0.437
254/2/2/क, 255, 335/2/2क	2.007
254/2/2/ख, 255, 335/2/2ख	0.745
254/2/2ग, 255, 335/2/2ग	1.254
254/2/2/घ	2.023
335/1/1/2	1.821
335/1/1/3	0.769
335/1/1/4	0.650
335/1/1/7	0.090
335/1/1/8	0.485
335/1/1/9	0.140
335/1/1/10	0.140
335/1/1/क	0.267
335/1/1/ख	0.372
335/1/1/ग	0.260
335/1/1/घ	0.550
335/1/3/3	0.100
335/1/4/क	0.575
335/1/4/ख	0.672
335/1/4/ग	0.336
335/1/4/घ	0.169
335/1/4/ड	0.170
336/2/1	0.660
336/2/2	0.664
336/2/3	0.660
337/2/2/क	0.085
337/4	0.250
योग. .	114.952

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता हैं—कान्याखेडी मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत बांध निर्माण हेंतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी आष्टा के कार्यालय में किया जा सकता हैं.

प्र. क्र. 004-अ-82-2018-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीहोर

(ख) तहसील—जावर

(ग) ग्राम—फूडरा

(घ) क्षेत्रफल—119.912 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक/ सर्वे नम्बर	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टे. में)
(1)	(2)
2	0.951
3	0.001
3/1	0.223
3/2	0.223
3/3	0.227
4, 717/2	0.129
5/1	0.134
5/2	0.255
6/1	0.117
6/2	0.121
6/3	0.121

(1)	(2)
7	0.522
8	0.210
9/1	0.065
9/2क	0.032
9/2ख	0.028
9/2ग	0.028
10/1	0.158
10/2	0.154
10/3	0.158
11	0.073
12/1	0.057
12/2/1/1	0.009
12/2/2	0.036
12/2/3	0.016
13/1/1	0.007
13/2	0.032
13/3	0.016
14/1/1	0.046
14/2	0.210
14/3	0.105
15	0.202
16/1	0.093
16/2	0.093
17/1क	0.012
17/1ख	0.012
17/1ग	0.012
17/2	0.032
17/3	0.004
18/1	0.061
18/2	0.065
18/3	0.065
19/1	0.049
19/2	0.049
19/3	0.049
20	0.170
21	0.384
22/1	0.004
22/2	0.008
22/3	0.004
22/4	0.008
22/6	0.008
22/7	0.012
22/8	0.012
23/1/1	0.004
23/2	0.012
23/3	0.008
24/1	0.016
24/2	0.012
24/3	0.016
24/4	0.117
24/6	0.012
24/7	0.016
24/8	0.020
25/1/1	0.219
25/1/2	0.652
25/3/1	0.008
25/3/2	0.012
26	0.053
27/1	0.024
27/2	0.024
28	0.121
29/1	0.014
29/2	0.028
30/1	0.020
30/2	0.016
31	0.032
32	0.069
33	0.020
34/1	0.174
34/2	0.218
35/1	0.190
35/2/1	0.095
35/2/2	0.085
36	0.024
37/1	0.049
37/2	0.069
37/3/1	0.032
38/1/1	0.020
38/1/2	0.024
38/1/3	0.020

(1)	(2)	(1)	(2)
38/2	0.061	58/1	0.405
39/1	0.129	58/2/1	0.031
39/2	0.125	58/3	0.069
39/3	0.125	58/4	0.020
40	0.348	59/1	0.053
41/1	0.275	59/2	0.016
41/2	0.016	60/1	0.016
41/3	0.128	60/2	0.016
43	0.036	60/3	0.012
44/1	0.384	61/1	0.146
44/2	0.336	61/2	0.150
45/1, 45/2	1.173	62/1	0.271
45/1/2, 45/2/2	0.267	62/2	0.117
45/1/3, 45/2/3	0.320	63/1	0.170
46	0.543	63/2	0.170
47	0.235	64	0.089
48	0.040	65	0.283
49, 50	0.101	66/1	0.113
51	0.162	66/2	0.077
52/1, 52/2	0.809	67/1	0.049
52/1/2/1, 52/2/1	0.202	67/2	0.024
52/1/2/3, 52/2/3	0.202	68/1	0.231
53/1	0.146	68/2	0.117
53/2	0.089	69/1	0.032
58/2/2	0.030	69/2	0.016
54/1, 54/2, 56/1, 56/2/1	0.243	70/1	0.097
		70/2	0.089
54/1/2/2, 54/2, 56/1, 56/2/2	0.267	71, 74/1	0.121
		71/1, 74/1	0.121
54/1/2/4, 54/2, 56/1, 56/2/4	0.040	71/2, 74/2	0.235
		72/1/3	0.263
55	0.024	72/1/4	0.020
57/1क	0.376	72/1/5	0.073
57/1/ख	0.036	72/1/6	0.020
57/1/ग	0.012	72/2/1	0.222
57/1/घ	0.304	72/2/2	0.243
57/2	0.243	72/2/3	0.061
57/3/1	0.081	72/2/4	0.012
57/3/2	0.081	73/1	0.069
57/3/3	0.081	73/2	0.125

(1)	(2)
73/3	0.146
75/1	0.350
75/2	0.542
75/3	0.267
75/4	0.089
76/1	0.182
77/1	0.190
77/2	0.095
78/1	0.210
78/2	0.089
78/3	0.093
79	0.676
80/1	0.137
80/2	0.061
81	0.001
81/1	0.010
81/2	0.061
82	0.235
83/1	0.045
83/2	0.020
83/3	0.040
83/4	0.020
84/1	0.267
84/2	0.138
84/3	0.271
84/4	0.134
85/1	0.335
92	0.085
93/1	0.008
93/2	0.275
93/3	0.020
93/4	0.081
93/6	0.121
94/1	0.239
95	0.291
96	0.061
97/1/1	0.016
97/1/2	0.045
97/1/3	0.043
97/2	0.024

(1)	(2)
97/3/1	0.016
97/3/2	0.032
97/3/3	0.004
97/4	0.024
98	0.255
99/1	0.218
99/2	0.684
99/3	0.146
100/1	0.133
100/2	0.133
100/3	0.133
101/1	0.065
101/2	0.061
102/1	0.036
102/2	0.073
103	1.076
104/1	0.061
104/2	0.137
104/3	0.975
104/7	0.251
105/1	0.643
105/2	0.218
105/3	0.024
105/4	0.101
105/5/1	0.109
105/5/2	0.110
105/6	0.053
105/7	0.049
106/1	0.142
106/2	0.154
106/3	0.137
106/4	0.016
106/5	0.364
106/6	0.243
107/1	0.028
107/2	0.024
108	0.057
109/1	0.243
109/2	2.878
109/3	0.121

(1)	(2)
109/4	0.930
109/6	0.081
110/1	1.064
110/4	0.251
110/5	0.089
112/6	0.344
113/2	0.085
114/1/1	0.082
115/1	0.219
115/2	0.036
116/1	0.085
720/145	0.035
117/1	0.050
117/2	0.050
118	0.149
119/1	0.069
119/2/3	0.074
121, 120/1	0.056
120, 121/2	0.037
122/3	0.060
122/2	0.061
122/1	0.087
156	0.097
157	0.186
158/1	0.320
158/2	0.583
159/1	0.534
159/2	0.348
160/1	0.138
160/2	0.028
161/1	0.559
161/2	0.081
162/1	0.169
162/2	0.259
162/3	0.259
163	0.538
164	1.185
165, 166, 167	1.185
168	0.142
169, 170	0.534
171/1	0.194

(1)	(2)
171/2	0.065
171/3	0.065
171/4	0.065
172/1	0.028
172/2	0.012
172/3	0.012
172/4	0.008
175	0.433
176, 177	0.494
178	0.166
179, 180	0.733
181/1	0.202
181/2	0.012
182/1	0.227
182/2	0.158
183, 184	1.396
185/1	0.498
185/2	0.295
186	0.587
187	0.579
188/1	0.344
188/2	0.344
189	0.320
192	0.287
193, 194	0.769
195	0.858
196/1	1.279
196/2क	0.045
196/2ख	0.089
197	0.648
198	0.789
200/1	1.108
200/2	0.809
76/2	0.182
201	0.267
202	0.202
203/1	0.198
203/2	0.393
204	0.053
205	0.045
206	0.943

(1)	(2)	(1)	(2)
207	0.178	226/1/क	0.902
208	0.198	226/1/ख	0.700
209/1	0.129	226/2	0.769
209/2	0.020	227/1	0.414
209/3	0.129	227/2/1	0.510
210/2, 211	1.368	227/2/2	0.510
210/3, 211	0.077	227/3	0.415
210/4, 211	0.227	228	0.129
210/5, 211	0.077	229	0.632
210/7, 211	0.158	230	0.174
210/8, शा 211/8	0.170	231/1	0.219
210/10, शा 211/10	0.170	231/2	0.223
210/11, शा 211/11	0.133	232	0.202
212/1	0.028	233/1	0.344
212/2	0.004	233/2	0.348
212/3	0.012	234	0.105
212/4	0.036	235/1	0.045
212/5	0.036	235/2	0.045
213/1	0.061	236	0.032
213/2	0.077	237/1	0.121
213/4	0.040	237/2	0.105
214/1	0.053	238	0.101
214/2	0.174	239	0.016
214/3	0.053	240/1/1	0.007
214/4	0.053	240/1/2	0.364
214/5	0.016	240/2	0.057
215	1.040	240/3	0.057
216/1	0.069	241	0.198
216/2	0.053	242	0.162
217	0.101	243	0.450
218	0.624	244	0.486
219	0.429	245	0.125
220	0.688	246	0.154
221	0.862	248	0.882
222/1	0.494	249	0.655
222/2	0.170	250	1.107
223	0.441	251	0.227
224/1	0.318	252	0.227
224/2	0.012	257/1	0.360
224/3	0.318	259	0.178
225	0.089	260	0.251

(1)	(2)	(1)	(2)
261	0.061	298/1	0.202
262	0.032	298/2	0.146
263	0.344	306/1	0.040
264, 265	0.182	306/2	0.080
266	0.478	307/1/1	0.021
267/1	0.117	307/1/2	0.129
267/2	0.117	307/3	0.097
267/3	0.117	310/1	0.324
268/1	0.040	310/2	0.721
268/2	0.036	310/3	0.259
268/3	0.040	312/1	0.271
269/1	0.158	314	0.081
269/2	0.036	315	0.433
269/3	0.280	316	0.381
270	0.101	327/2, 328/2	0.295
271/1/1/क	0.121	330	0.045
271/1/1/ख	0.202	331/1	0.040
271/1/2	0.146	331/2	0.040
271/2	0.466	331/3	0.045
272	0.162	332/1	0.065
273, 279	1.088	332/2	0.065
275/1	0.020	332/3	0.065
275/2	0.024	332/4	0.069
276/1	0.089	332/5	0.069
276/2	0.032	332/6	0.065
276/3	0.101	333	0.259
276/4	0.057	334	0.312
276/5	0.032	335	0.065
277	0.312	336	0.057
278	0.534	337/1	0.016
280	0.205	337/2	0.016
281	0.154	337/3	0.016
282/1	0.158	338	0.368
282/2	0.080	339	0.073
292/1	0.295	342	0.101
292/2	0.442	343/1, 344/1	0.526
293/1	0.040	343/2, 344/2	0.081
293/2	0.174	718, 145/1	0.005
294/1	0.153	22/5	0.008
294/2	0.202	537/1	0.036
296/2, 297/2	0.154	537/2	0.073

(1)	(2)	(1)	(2)
538/3	0.066	312/2	0.061
541	0.040	317	0.089
24/5	0.012	321	0.165
37/3/2	0.033	327/1, 328/1	0.265
254/1	0.490	322	0.030
563/9	0.202	87, 88, 89	0.250
563/7	0.080	90	0.047
726/563	0.161	124	0.380
568	0.129	127	0.190
570	1.010	128/1/2/3	0.030
571	0.235	123/2	0.073
572	1.640	123/4	0.073
573	0.972	123/1	0.040
574	1.578	123/3	0.040
575/1 क	1.189	114/1/2	0.082
575/1 ख	1.189	592/4	0.085
575/2	0.109	724/591	0.081
576	0.138	559/1/1	0.081
577/2	0.202	561/1	0.114
577/1	0.100	563/5	0.162
578	0.645	563/1	0.202
580/1	0.080	257/2	0.081
580/2	0.121	258/1	0.016
569	0.050	258/2	0.012
567	0.030	284/1, 285/1	0.185
586	0.340	284/2, 285/2	0.525
587/1/1, 588, 589/1/1	0.647	293/3	0.050
587/1/2, 588, 589/1/2	0.291	293/4	0.050
591	0.238	299/1 शा. 300/1	0.234
592/1	0.360	299/2	0.093
592/2	0.240	301/1	0.040
592/3	0.070	301/3	0.080
319/5	0.121	308	0.024
319/2	0.065	309/1	0.061
319/3	0.057	309/2	0.012
319/4	0.040	303/1	0.020
307/2	0.050	303/2	0.020
93/5	0.032	94/2	0.206
304/1	0.125	104/4	0.061
304/2	0.025	104/5	0.081
320	0.085	104/6	0.085

(1)	(2)
109/5	0.344
110/2	0.170
110/3	0.291
213/3	0.065
210/1, 211	0.008
210/6, 211	0.198
210/9, 211	0.040
12/2/1/2	0.011
13/1/2	0.009
14/1/2	0.059
23/1/2	0.004
159/3	0.238
54/1/2/3	0.041
110/6	0.089
209/4	0.016
योग. .	119.912

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—कान्याखेडी मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत बांध निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी आष्टा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्र मोहन ठाकुर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 16 जून 2021

नस्ती क्र.—एलए/2021/भू-अर्जन प्र. क्र. 0003-अ-82-2020-21.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 43 में वर्णित प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा
(ख) तहसील—खालवा
(ग) ग्राम—पिपल्याभोजू
(घ) अर्जित रकबा—2.55 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	कुल रकबा (हैक्टेयर में) (2)	अर्जित रकबा (3)
52	4.98	0.16
54	4.05	0.10
56/1	2.04	0.13
56/2	1.02	0.18
56/3	0.63	0.13
58	3.36	0.04
60	4.82	0.03
61	9.58	1.78
योग. .	30.48	2.55

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैं—आंवलिया मध्यम सिंचाई परियोजना के कन्ट्रोल रूम निर्माण एवं परिवर्तित पिपल्या भोजू मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, हरसूद तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र.—एलए/2021/भू-अर्जन प्र. क्र. 0004-अ-82-2020-21.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर

और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 43 में वर्णित प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा
(ख) तहसील—खालवा
(ग) ग्राम—बाराकुण्ड
(घ) अर्जित रकबा—1.05 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हैक्टेयर में)
(1)	(2)
02	1.05
योग. .	1.05

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैं—आंवलिया मध्यम सिंचाई परियोजना के स्टोर यार्ड हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, हरसूद तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र.—एलए/2021/भू-अर्जन प्र. क्र. 0005-अ-82-2020-21.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 43 में वर्णित प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा
(ख) तहसील—खालवा
(ग) ग्राम—रोशनी
(घ) अर्जित रकबा—1.60 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल रकबा (हैक्टेयर में)	अर्जित रकबा
(1)	(2)	(3)
149	2.24	0.01
137/1	1.50	0.07
135	0.15	0.15
136	0.35	0.35
132	0.26	0.19
133	1.98	0.83
योग. .	6.48	1.60

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैं—आंवलिया मध्यम सिंचाई परियोजना से डूब प्रभावित होने से.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, हरसूद तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनय द्विवेदी, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.